निर्यात-आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2020

Export-Import Bank Officers' (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 2020

IndiaCode

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

इंडिया एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है। बैंक के प्रतीक चिह्न का दुतरफ़ा वैशिष्ट्य है। आयात भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है जो निर्यातों में मूल्ययोजन के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है।

India Exim Bank aims to promote India's international trade. The Bank's Logo depicts the two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow, which reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात–आयात बैंक की स्थापना ''देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है...''

: भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981

निर्यात-आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2020

Export-Import Bank Officers' (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 2020

IndiaCode

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

अगस्त 2020
August 2020

निर्यात–आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2020

भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिनियम, 1981, (1981 का 28) की धारा 39 की उप–धारा 2 (घ) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्यात–आयात बैंक का निदेशक मंडल केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

अध्याय I
प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम, आरंभ एवं प्रयोज्यता

(1) ये विनियम, भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये बैंक के सभी अधिकारियों पर लागू होंगे चाहे वे भारत में पदस्थ हों अथवा भारत से बाहर, किन्तु निम्नलिखित कार्यपालकों पर लागू नहीं होंगे –

(क) बैंक के अध्यक्ष;

(ख) बैंक के प्रबंध निदेशक;

(ग) उप प्रबंध निदेशक

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक,–

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय निर्यात–आयात बैंक, अधिनियम, 1981 (1981 का 28) अभिप्रेत है;

(ख) ''अपीलीय प्राधिकारी'' से अपीलें निपटाने के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''बैंक'' से भारतीय निर्यात–आयात बैंक अभिप्रेत है;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से बैंक के प्रबंध निदेशक अथवा इस प्रयोजन के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा नामोद्दिष्ट कोई अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) ''उप प्रबंध निदेशक'' से अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) (कक) के संबंध में नियुक्त बैंक का पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है;

(च) ''अनुशासिक प्राधिकारी'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो किसी अधिकारी पर विनियम 26 में उल्लिखित दंडों में से कोई भी दंड लगाने के लिए सक्षम है;

(छ) निजी प्रतिष्ठान में नियोजन से किसी कंपनी, सहकारी समिति, किसी फर्म, सीमित देयता साझेदारी के अधीन प्रतिनिधि की हैसियत से नियोजन अथवा कारोबार, व्यापार, औद्योगिक, वित्तीय अथवा पेशेवर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है

IndiaCode

EXPORT-IMPORT BANK OFFICERS' (CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEAL) REGULATIONS, 2020

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 39 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of the Export-Import Bank of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.

(1) These regulations may be called the Export-Import Bank Officers' (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to all Officers of the Bank whether working in India or outside India but shall not apply to—

(a) the Chairman of the Bank;

(b) the Managing Director of the Bank;

(c) the Deputy Managing Director.

IndiaCode

2. Definitions.

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);

(b) "Appellate Authority" means the authority specified in the Schedule to dispose of appeals;

(c) "Bank" means the Export-Import Bank of India;

(d) "Competent Authority" means the Managing Director of the Bank or any other authority that may be designated for the purpose by the Managing Director;

(e) "Deputy Managing Director" means the whole-time Director of the Bank, appointed in terms of clause (aa) of sub-section (1) of section 6 of the Act.

(f) "Disciplinary Authority" means the authority specified in the Schedule which is competent to impose on an officer any of the penalties specified in regulation 26;

(g) "employment in Private Concern" means an employment in any capacity including that of an agent under a company, co-operative society, firm, limited liability partnership or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and also includes a directorship of such a company and partnership of such firm but does not include employment

और इसमें उक्त कंपनी में निदेशक के रूप में कार्य करना अथवा ऐसे फर्मों में साझेदारी भी शामिल है, परंतु इसमें सरकार के पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः स्वामित्व के अथवा नियंत्रण वाले निगमित निकाय में नियोजन शामिल नहीं है;

(ज) ''परिवार'' का अर्थ है –

(i) पुरुष अधिकारी के मामले में इसका अर्थ अधिकारी की पत्नी है, चाहे वह उसके साथ रहती हो या नहीं, परंतु इसमें विधिक रूप से संबंध विच्छेदित पत्नी शामिल नहीं है तथा महिला अधिकारी के मामले में इसका अर्थ अधिकारी का पति है चाहे वह उसके साथ रहता हो या नहीं, परंतु इसमें विधिक रूप से संबंध विच्छेदित पति शामिल नहीं है;

(ii) अधिकारी की संतानें अथवा सौतेली संतानें, चाहे वे अधिकारी के साथ रहती हों या नहीं, और अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित हों, परंतु इनमें ऐसी संतानें अथवा सौतेली संतानें शामिल नहीं हैं जिनके संरक्षण से ऐसे अधिकारी को विधि द्वारा या किसी कानून के अंतर्गत वंचित किया गया हो; और

(iii) अधिकारी अथवा उसके जीवनसाथी (पति या पत्नी) के वंश अथवा विवाह के कारण नातेदार कोई अन्य व्यक्ति, जो ऐसे अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित हो।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजन के लिए नातेदारी का निर्धारण कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप–धारा (77) के अनुसार किया जाएगा;

(झ) ''सरकार'' से ''केंद्र सरकार'' अभिप्रेत है;

(ञ) ''प्रबंध निदेशक'' से बैंक के प्रबंध निदेशक अभिप्रेत हैं;

(ट) ''अधिकारी'' से भारतीय निर्यात–आयात बैंक अधिकारी सेवा विनियमावली, 1982 के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी भी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी सेवाएं अस्थायी तौर पर केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य सरकारी उपक्रम अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य संस्था में कार्य निष्पादन के लिए है और इसमें कोई भी विशेषज्ञ अथवा तकनीकी व्यक्ति तथा ऐसा अन्य कर्मचारी भी शामिल होगा जिन पर विनियम 1 के उप नियम (3) के अधीन यह विनियमावली लागू होती है;

(ठ) ''समीक्षाकर्ता प्राधिकारी'' से अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ड) ''अनुसूची'' से इस विनियमावली में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

IndiaCode

under a body corporate wholly or substantially held or controlled by the Government;

(h) "family" means —

(i) in the case of male officer, his wife, whether residing with him or not, but does not include a legally separated wife and in the case of woman officer, her husband, whether residing with her or not, but does not include a legally separated husband;

(ii) children or step-children of the officer, whether residing with the officer or not and wholly dependent on such officer but does not include children or step-children of whose custody the officer has been deprived of by or under any law; and

(iii) any other person related by blood or marriage, to the officer or to his spouse and wholly dependent upon such officer.

Explanation.—For the purpose of this clause, relationship will be determined in accordance with sub-section (77) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with rule 4 of the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014;

(i) "Government" means the Central Government;

(j) "Managing Director" means the Managing Director of the Bank;

(k) "officer" means a person appointed to any of the grades specified in regulation 4 of the Export-Import Bank Officers' Service Regulations, 1982, officers whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government or any other Government undertaking or any other public sector bank or the Reserve Bank of India or any other organisation and shall include any specialist or technical person appointed and any other employee to whom any of these regulations have been made applicable under sub-regulation (3) of regulation 1;

(l) "reviewing authority" means the authority specified in the Schedule;

(m) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.

(2) The words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

IndiaCode

अध्याय II
आचरण

3. सामान्य शर्तें

(1) प्रत्येक अधिकारी, बैंक के हित सुनिश्चित करने, उनकी रक्षा करने और उनका संवर्धन करने के लिए हर समय हर संभव उपाय करेगा तथा अपने कर्त्तव्यों को परम सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, लगन और समर्पण से निभाएगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो एक अधिकारी के लिए अशोभनीय हो।

(2) प्रत्येक अधिकारी अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखेगा तथा सभी संव्यवहारों और चर्चाओं में समस्त व्यक्तियों के प्रति सौजन्य दर्शाएगा और सभी पर ध्यान देगा।

(3) कोई भी अधिकारी अपने शासकीय कर्त्तव्यों के निष्पादन में अथवा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में अपने सर्वोत्तम निर्णय की अपेक्षा अन्यथा कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जब वह अपने से वरिष्ठ किसी अधिकारी के लिखित निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो।

(4) प्रत्येक अधिकारी अपने नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन तत्समय रहने वाले सभी व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करेगा।

(5) प्रत्येक अधिकारी इसमें समाविष्ट नियमों का पालन करेगा तथा वह ऐसे सभी आदेशों और निदेशों का पालन करेगा और उन्हें मानेगा जो किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों द्वारा उसे अपने शासकीय कर्त्तव्यों को निभाने के समय दिए जाएं जिसके या जिनके क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण के अधीन उसे तत्समय तैनात किया गया हो।

4. गोपनीयता का पालन– प्रत्येक अधिकारी बैंक के कार्यों और उसके ग्राहकों के कार्यों के संबंध में परम गोपनीयता बनाए रखेगा तथा गोपनीय स्वरूप की सूचना या तो जनता के किसी सदस्य, या बाहरी एजेंसी या ऐसी सूचना के पात्र न रहने वाले बैंक के किसी अन्य अधिकारी को तब तक प्रकट नहीं करेगा जब तक कि –

(i) ऐसी सूचना का प्रकटीकरण विधि के अनुसार अथवा बैंकों के बीच की प्रचलित कार्यप्रणालियों और प्रचलनों के अनुसार न हों ;

(ii) ऐसी सूचना प्रकट करने के लिए न्यायिक अथवा इसके लिए विधि द्वारा शक्ति प्राप्त अन्य प्राधिकारी द्वारा बाध्य न किया गया हो ;

(iii) अपने कर्त्तव्यों के निर्वाह में उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का अनुदेश न दिया गया हो।

5. बैंक की ग्राहकी (क्लाइन्टेल) फर्मों में अधिकारियों के परिवार के सदस्यों का नियोजन और ऐसे प्रतिष्ठानों को सुविधाएं प्रदान किया जाना

(1) कोई भी अधिकारी अपने से संबंधित किसी भी व्यक्ति के लिए नियोजन प्राप्त करने हेतु अपने पद अथवा प्रभाव का प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपयोग नहीं करेगा, चाहे वह व्यक्ति अधिकारी के वंश अथवा विवाह पक्ष से ही संबंधित क्यों न हों और चाहे वह व्यक्ति अधिकारी पर आश्रित हो या न हो।

(2) कोई भी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, अपने पुत्र, पुत्री अथवा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को ऐसे किसी निजी उपक्रम में नियोजन स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा जिसके साथ उसके शासकीय व्यवहार हैं अथवा वह किसी ऐसे अन्य उपक्रम में उसे रोजगार करने की अनुमति नहीं देगा जिसके उसकी जानकारी के अनुसार बैंक के साथ शासकीय व्यवहार हैं :

IndiaCode

CHAPTER II
CONDUCT

3. General Conditions.

(1) Every officer, shall, at all times, take all possible steps to ensure, protect and promote the interests of the Bank and discharge his duties with utmost integrity, honesty, devotion and diligence and do nothing which shall render him unbecoming of an officer.

(2) Every officer shall maintain good conduct and discipline and show courtesy and attention to all persons in all transactions and negotiations.

(3) No officer shall, in the performance of his official duties or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgement except when he is acting under the written direction of an officer superior to him.

(4) Every officer shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all persons for the time being under his control and authority.

(5) Every officer shall conform to and abide by the rules incorporated herein and shall observe, comply with and obey all orders and directions which may from time to time be given to him in the course of his official duties by any person or persons under whose jurisdiction, supervision or control he may for the time being be placed.

IndiaCode

4. Observance of secrecy.—Every officer shall maintain the secrecy regarding the Bank's affairs and the affairs of its constituents and shall not divulge directly or indirectly any information of a confidential nature either to a member of the public or to an outside agency or to any other employee of the Bank not entitled to such information unless -

(i) divulging of such information is in accordance with the law or in accordance with the practices and usages customary amongst banks;

(ii) he is compelled to divulge such information by the direction of judicial or other authority empowered by law for the same;

(iii) instructed to do so by a superior officer in the discharge of his duties.

5. Employment of members of family of officers in firms enjoying the Bank's clientele and grant of facilities to such concerns.

(1) No officer shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any person related, whether by blood or marriage to the officer or to the officer's wife or husband, whether such a person is dependent on the officer or not.

(2) No officer shall, except with the prior permission of the Competent Authority, permit his son, daughter or any other member of his family to accept employment in any private undertaking with which he has official dealings or in any other undertaking having to his knowledge has official dealings with the Bank :

परंतु यह कि जहां नियोजन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती अथवा उसे अन्यथा अत्यावश्यक समझा गया है, वहां इस मामले को नियोजन का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी; और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अधीन नियोजन अनन्तिम रूप से स्वीकार किया जा सकता है।

(3) कोई भी अधिकारी अपने शासकीय कर्त्तव्यों के निर्वाह के दौरान किसी भी मामले में किसी भी संविदा, करार, समझौते अथवा प्रस्ताव के लिए बैंक द्वारा या बैंक की ओर से जानबूझकर कोई अग्रिम प्रदान नहीं करेगा अथवा किसी अग्रिम का प्रदान किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा अथवा किसी भी ऐसे उपक्रम या व्यक्ति को कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऋण नहीं देगा या मंजूर नहीं करेगा, जिसमें उसके परिवार का कोई सदस्य उस उपक्रम में अथवा उस व्यक्ति के अधीन नियोजित हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के ऐसे मामलों में अथवा किसी अन्य मामले में कोई हित हों तथा अधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले या संविदा या ऋण को अपने वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा तथा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार ही संबंधित मामले या संविदा या ऋण का निपटान किया जाएगा, जिसके पास वह विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

स्पष्टीकरण– यदि कोई व्यक्ति किसी उपक्रम की चुकता पूँजी के 2 प्रतिशत से अनधिक के अपने नाम के शेयरों का शेयरधारक हो तो इसके उप–विनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति का उस उपक्रम में किसी हित का होना नहीं माना जाएगा।

6. बाहरी नियोजन लेना

(1) कोई भी अधिकारी, बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना, न तो कोई व्यवसाय करेगा और न ही किसी व्यवसाय में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः शामिल होगा अथवा कोई अन्य रोजगार आरंभ करेगाः

परंतु यह कि कोई भी अधिकारी, ऐसी पूर्व स्वीकृति के बिना सामाजिक अथवा धार्मिक स्वरूप अथवा साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, पेशेवर, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धर्मार्थ अथवा सामाजिक स्वरूप का अवैतनिक कार्य कर सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार के कार्य से उसके शासकीय कर्त्तव्यों को निर्वाह में बाधा न आए; परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा कार्य न करने का निदेश दिया जाए तो अधिकारी इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा अथवा उसे बंद कर देगा।

स्पष्टीकरण– अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली अथवा उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा–एजेंसी या कमीशन एजेंसी के व्यवसाय के समर्थन में किसी अधिकारी द्वारा प्रचार किए जाने को इस उप विनियम का उल्लंघन किया जाना माना जाएगा।

(2) यदि किसी अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य कोई व्यापार अथवा व्यवसाय कर रहा हो अथवा किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी हो या उसका प्रबंधन करता हो, तो उक्त अधिकारी को इसकी सूचना बैंक को देनी होगी।

(3) कोई भी अधिकारी बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने शासकीय कर्त्तव्यों के निर्वाह को छोड़कर, किसी बैंक अथवा किसी ऐसी अन्य कंपनी के पंजीकरण, प्रवर्तन, अथवा प्रबंधन में भाग नहीं लेगा, जिसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित है।

परंतु यह कि कोई भी अधिकारी सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अथवा तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ सोसायटी के पंजीकरण, प्रवर्तन अथवा प्रबंधन में भाग ले सकता है।

(4) कोई भी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक निकाय अथवा किसी व्यक्ति के लिए किए गए कार्य का कोई शुल्क स्वीकार नहीं करेगा।

IndiaCode

Provided that where the acceptance of the employment cannot wait for prior permission of the Competent Authority or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the Competent Authority within three months from the date of receipt of offer of employment; and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Competent Authority.

(3) No officer shall, in the discharge of his official duties, knowingly grant or authorise the grant of any advance to or enter into or authorise entering into by or on behalf of the Bank any contract, agreement, arrangement or proposal in any matter or give or sanction any contract or loan to any undertaking or person if any member of his family is employed in that undertaking or under that person or if he or any member of his family has interests in such matters or contracts in any other manner and the officer shall refer every such matter or contract or loan to his superior officer and the matter or contract or loan shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom such reference is made.

Explanation.—For the purposes of this sub-regulation, a person shall not be deemed to have any interest in an undertaking, if he is only a shareholder having not more than two percent. of the paid-up capital of the undertaking in his name.

IndiaCode

6. Taking up outside employment.

(1) No officer shall, except with the previous sanction of the Bank, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment :

Provided that an officer may, without such sanction, undertake honorary work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic, scientific, professional, cultural, educational, religious or social character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer; but he shall not undertake or discontinue such work if so directed by the Competent Authority.

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation, canvassing by an officer in support of the business of insurance agency or commission agency owned or managed by a member of his family shall be deemed to be a violation of this provision.

(2) Every officer shall report to the Bank if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(3) No officer shall, without the previous sanction of the Bank, except in the discharge of his official duties, take part in the registration, promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any other law for commercial purposes.

Provided that an officer may take part in registration, promotion or management of a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any corresponding law in force.

(4) No officer shall accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the Competent Authority.

(5) कोई भी अधिकारी किसी बीमा कंपनी अथवा किसी निगम के लिए या उसके पक्ष में अपनी व्यक्तिगत हैसियत से एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा।

7. समाचार पत्रों, रेडियो आदि के लिए योगदान

(1) कोई भी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी समाचार पत्र अथवा किसी अन्य आवधिक प्रकाशन के संपादन या प्रबंधन का पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व या संचालन संबंधी कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा कर्त्तव्यों के वास्तविक निर्वाह को छोड़कर रेडियो अथवा टेलीविजन के किसी प्रसारण में भाग नहीं लेगा अथवा अपने नाम से अथवा गुमनाम रूप से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी समाचार पत्र अथवा आवधिक पत्रिका में कोई लेख नहीं लिखेगा अथवा पत्र नहीं लिखेगा अथवा ऐसा कोई प्रलेख, आलेख अथवा सूचना सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नहीं देगा, जो उसकी शासकीय हैसियत से उसके कब्जे में आया हो / आई हो।

(3) कोई भी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति को छोड़कर, कोई ऐसी पुस्तक अथवा इसी तरह की कोई मुद्रित सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा अथवा प्रकाशित नहीं कराएगा जिसका वह लेखक हो अथवा न हो, अथवा वह सार्वजनिक सभाओं में अन्यथा कोई भाषण या व्याख्यान नहीं देगा :

परंतु यह कि उन मामलों में ऐसी स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण अथवा रचना देना अथवा प्रकाशन विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक स्वरूप का हो।

8. प्रदर्शन – कोई भी अधिकारी किसी ऐसे प्रदर्शन में न तो शामिल होगा और न ही उसमें स्वयं भाग लेगा, जो बैंक के हितों, भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ के मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टाचार अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा जिसमें न्यायालय की अवमानना, बदनामी अथवा किसी अपराध का भड़काना निहित हो।

9. देश हित विरोधी संघों में शामिल होना – कोई भी अधिकारी किसी ऐसे संघ में न तो शामिल होगा अथवा न ही उसका सदस्य बना रहेगा, जिसके उद्देश्य अथवा कार्यकलाप बैंक के हितों अथवा भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता अथवा सार्वजनिक व्यवस्था अथवा नैतिकता के प्रतिकूल हों।

10. साक्ष्य देना

(1) उप विनियम (3) में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर कोई भी अधिकारी सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, किसी व्यक्ति, समिति अथवा प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी जांच के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां उप विनियम (1) के अधीन कोई अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी अधिकारी सरकार या किसी राज्य सरकार या बैंक की नीति या उसके किसी भी कार्य की आलोचना नहीं करेगा।

(3) उक्त विनिमय की कोई भी बात निम्नलिखित के समक्ष किसी साक्ष्य पर लागू नहीं होगी–

(क) सरकार, राज्य सरकार, संसद अथवा राज्य विधानसभा द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष की जाने वाली जांच में; अथवा

(ख) किसी न्यायिक जांच में; अथवा

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित की गई किसी विभागीय जांच में।

IndiaCode

(5) No officer shall act as an agent of, or canvass business in favour of, an insurance company or corporation in his individual capacity.

7. Contribution to newspapers, radio etc.

(1) No officer shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or any other periodical publication.

(2) No officer shall, except with the previous sanction of the Competent Authority or except in the bonafide discharge of his duties, participate in radio or television broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously or in the name of any other person to any newspaper or periodical or make public, or publish or cause to be published or pass on to others any document, paper or information which may come into his possession in his official capacity.

(3) No officer shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, publish or cause to be published any book or any similar printed matter of which he is the author or not, or deliver, talk or lecture in public meetings or otherwise:

Provided that no such sanction is required if such broadcast or contribution or publication is of a purely literary, artistic, scientific, cultural, educational, religious or social character.

IndiaCode

8. Demonstrations.— No officer shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interests of the Bank or of the sovereignty and integrity of India, the security of the State; friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence.

9. Joining of associations prejudicial to interests of the country.— No officer shall join, or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the Bank or of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

10. Giving evidence.

(1) Save as provided in sub-regulation (3), no officer shall, except with the previous approval of the Competent Authority, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any approval has been accorded under sub-regulation (1), no officer giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Government or of a State Government or of the Bank.

(3) Nothing in this regulation shall apply to any evidence given —

(a) at an enquiry before an authority appointed by the Government, State Government, Parliament or a State Legislature; or

(b) in any judicial enquiry; or

(c) at any departmental enquiry ordered by the Competent Authority.

11. बैंक के अधिकारियों के सम्मान में सार्वजनिक सभा

(1) कोई भी अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी भी प्रकार का मानार्थ अथवा विदाई अभिवादन अथवा अपने या बैंक के किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा अथवा अपने या किसी अन्य अधिकारी के सम्मान में आयोजित किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं होगा अथवा उस बैठक को संबोधित नहीं करेगा :

परंतु यह कि इस उप विनियम की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी –

(क) अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा स्थानांतरण पर उसके सम्मान में आयोजित अथवा किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के सम्मान में आयोजित निजी और अनौपचारिक स्वरूप का विदाई समारोह, जिसने हाल ही में बैंक की सेवाओं से त्यागपत्र दिया हो ; और

(ख) बैंक के अधिकारियों के संघ, यदि कोई है तो, द्वारा आयोजित साधारण और मितव्ययी समारोह को स्वीकार करना।

(2) कोई भी अधिकारी बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर विदाई समारोह के लिए योगदान देने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव नहीं डालेगा और न ही उसे बाध्य करेगा।

(3) कोई भी अधिकारी किसी उच्चतर ग्रेड के अधिकारी के विदाई समारोह के लिए किसी मध्यम या निम्न ग्रेड के अधिकारी से योगदान इकट्ठा नहीं करेगा।

12. प्रभाव डालने का प्रयास करना – कोई भी अधिकारी बैंक के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों में अपने हितों को साधने के लिए वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव लाने अथवा डालने का प्रयास नहीं करेगा।

13. ड्यूटी से अनुपस्थिति

(1) कोई भी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं रहेगा या कार्यालय देरी से नहीं आएगा अथवा तैनाती स्थान नहीं छोड़ेगा:

परंतु यह कि अपरिहार्य परिस्थितियों के जिस मामले में पूर्व अनुमति प्राप्त करना संभव न हो अथवा कठिन हो, वहां ऐसी अनुमति सक्षम प्राधिकारी की इस संतुष्टि के अधीन बाद में प्राप्त की जा सकती है कि ऐसी अनुमति पहले प्राप्त नहीं की जा सकती थी।

(2) कोई भी अधिकारी बीमारी या दुर्घटना के मामले में अस्वस्थता का उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना सामान्यतः अनुपस्थित नहीं होगा :

परंतु यह शर्त है कि अस्थायी अस्वस्थता अथवा आकस्मिक स्वरूप की बीमारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार से अस्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट दी जा सकती है।

14. उपहार स्वीकार करना – इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, तो कोई भी अधिकारी कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए ''उपहार'' का अर्थ निःशुल्क परिवहन, भोजन, ठहरने की व्यवस्था अथवा अन्य सेवा अथवा कोई अन्य आर्थिक लाभ शामिल है, जो अधिकारी के निकट संबंधी अथवा उसके साथ शासकीय व्यवहार न रखने वाले निजी मित्र को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया हो।

IndiaCode

11. Public demonstrations in honour of bank officers.

(1) No officer shall, except with the previous sanction of the competent authority, receive any complimentary or valedictory address or accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other employee of the bank:

Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to,—

(a) a farewell function of a substantially private and informal character held in honour of the officer or any other officer or employee of the Bank on the occasion of his retirement or transfer or retirement or transfer of any officer or employee who has recently quit the service of the bank; and

(b) the acceptance of simple and inexpensive function arranged by the association of officers of the Bank, if any.

(2) No officer shall either directly or indirectly exercise pressure or influence on any officer or employee of the Bank or induce or compel him to subscribe towards any farewell entertainment.

(3) No officer shall collect subscription for farewell function from any intermediate or lower grade employee for the function of any employee belonging to any higher grade.

12. Seeking to influence.— No officer shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Bank.

13. Absence from duty.

(1) No officer shall absent himself from duty or be late in attending office or leave the station of posting without prior permission of the Competent Authority:

Provided that in the case of unavoidable circumstances where availing of prior permission is not possible or is difficult, such permission may be obtained later subject to the satisfaction of the Competent Authority that such a permission could not have been obtained earlier.

(2) No officer shall normally absent himself in case of sickness or accident without submitting a proper medical certificate:

Provided that in the case of temporary indisposition or sickness of a casual nature, the production of a medical certificate may, at the discretion of the Competent Authority, be dispensed with.

14. Acceptance of gifts.— Save as otherwise provided in these regulations, no officer shall accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf to accept any gift.

Explanation.—For the purposes of this regulation, the expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or a personal friend having no official dealings with the officer.

IndiaCode

बशर्ते कि –

(क) नैमित्तिक भोजन, लिफ्ट, या अन्य सामाजिक आवभगत को उपहार नहीं माना जाएगा;

(ख) विवाहों, वर्षगांठों, अंत्येष्टियों अथवा धार्मिक उत्सवों जैसे जिन अवसरों पर उपहार देना प्रचलित धार्मिक अथवा सामाजिक परिपाटी है, वहां अधिकारी अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकता है, परंतु यदि उपहारों का मूल्य 5000/– रुपए से अधिक हो, तो वह सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा;

(ग) खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट ऐसे अवसरों पर अधिकारी अपने साथ कोई शासकीय व्यवहार न रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से भी उपहार स्वीकार कर सकता है परंतु यदि ऐसे उपहारों का मूल्य 1500/– रुपए से अधिक हो तो वह सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा;

(घ) किसी अन्य मामले में अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ऐसा कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा जिसका मूल्य 250/– रुपए से अधिक हो;

परंतु यह कि जब एक ही व्यक्ति अथवा संबंधित से 12 महीनों की अवधि में एक से अधिक उपहार प्राप्त किए गए हों और उनका कुल मूल्य 2000/– रुपए से अधिक हो तो इस मामले की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(ङ) कोई भी अधिकारी –

(i) न तो दहेज देगा अथवा न ही लेगा अथवा न ही वह दहेज लेने अथवा देने के लिए अवप्रेरित करेगा; अथवा

(ii) वधू या वर के माता–पिता अथवा अभिभावक से, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मांग नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण– इस उप विनियम के प्रयोजनों के लिए, दहेज से वही अर्थ अभिप्रेत है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में उल्लिखित है।

15. उधार देना और लेना– कोई भी अधिकारी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से

(i) बैंक के साथ लेन–देन करने वाले किसी दलाल अथवा साहूकार, अथवा बैंक के अधीनस्थ कर्मचारी अथवा किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संघ, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के आर्थिक दायित्व नहीं डालेगा, भले ही वह निगमित हो या न हो से उधार नहीं लेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को उधार लेने की अनुमति नहीं देगा तथा स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य को इनसे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ नहीं लेने देगा;

(ii) स्क्रिप की खरीद अथवा बिक्री के मामले में प्रदाय (डिलीवरी) की लागत को पूरा करने के लिए किसी भी विवरण के स्टॉक, शेयर अथवा प्रतिभूतियां निधियों के बिना नहीं खरीदेगा अथवा बेचेगा;

(iii) किसी घुड़दौड़ के आयोजन के लिए कर्ज नहीं लेगा;

(iv) बैंक के किसी संबंधित को निजी हैसियत से धन उधार नहीं देगा अथवा विनिमय बिलों, सरकारी पत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में ऐसे ग्राहक/ संबंधित के साथ कोई व्यक्तिगत लेन–देन नहीं करेगा; तथा

(v) किसी अन्य व्यक्ति के आर्थिक दायित्वों की गारंटी अपनी निजी हैसियत से नहीं देगा अथवा ऐसी हैसियत से न ही किसी अन्य व्यक्ति को, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति को छोड़कर हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होगा:

परंतु यह कि कोई भी अधिकारी किसी संबंधी अथवा निजी मित्र को कम राशि का ब्याज रहित विशुद्ध अस्थायी ऋण दे सकता है अथवा उससे स्वीकार कर सकता है अथवा यह वास्तविक व्यापारी (ट्रेड्समैन) के साथ उधारी खाता चला सकता है अथवा अपने निजी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम दे सकता है;

IndiaCode

Provided that, —

(a) a casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift;

(b) on occasions such as marriages, anniversaries, funerals or religious functions when making of gifts is in conformity with the prevailing religious or social practice, an officer may accept gifts from his near relatives but he shall make a report to the Competent Authority if the value of the gifts exceeds Rs. 5,000/-;

(c) on such occasions as specified in clause (b), an officer may also accept gifts from his personal friends having no official dealings with him but he shall make a report to the Competent Authority if the value of such gifts exceeds Rs. 1,500/-;

(d) in any other case, the officer shall not accept any gift without the sanction of the Competent Authority, if the value of the gifts exceeds Rs. 250/-:

Provided further that when more than one gift has been received from the same person or concern within a period of twelve months, the matter shall be reported to the Competent Authority if the aggregate value thereof exceeds Rs. 2,000/-.

(e) No officer shall —

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(ii) demand, directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry;

Explanation.—For the purposes of this sub-regulation,"dowry" has the same meaning as assigned to it in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

15. Lendings and borrowings.— No officer shall, in his individual capacity,

(i) borrow or permit any member of his family to borrow or otherwise place himself or a member of his family under a pecuniary obligation to a broker or a money lender or a subordinate employee of the Bank or any person, association of persons, firm, company or institution, whether incorporated or not, having dealings with the Bank;

(ii) buy or sell stocks, shares, or securities of any description without funds to meet the full cost in the case of a purchase of scrips or delivery in the case of a sale;

(iii) incur debts at a race meeting;

(iv) lend money in private capacity to a constituent of the Bank or have personal dealings with such constituent in the purchase or sale of bills of exchange, government paper or any other securities; and

(v) guarantee in his private capacity the pecuniary obligations of another person or agree to indemnify in such capacity another person from loss except with the previous permission of the Competent Authority:

Provided that an officer may, give to or accept from a relative or personal friend a temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance of pay to his private employee:

IndiaCode

परंतु इसके अतिरिक्त यह भी कि कोई भी अधिकारी जिस सहकारी ऋण समिति का सदस्य है उससे वह ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा वह उस सहकारी ऋण समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए जमानतदार हो सकता है, जिसका वह सदस्य है।

16. **वेतन का अग्रिम आहरण –** कोई भी अधिकारी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने वेतन का अग्रिम आहरण नहीं करेगा।

17. **अभिदान (सब्सक्रिप्शन) –** कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी उद्देश्य के अनुसरण में न तो अभिदान मांगेगा और न ही अभिदान स्वीकार करेगा अथवा किसी प्रकार की निधियों को जुटाने अथवा अन्य नकद उगाही में शामिल नहीं होगा।

18. **स्टॉकों और शेयरों की सट्टेबाजी तथा निवेश –** कोई भी अधिकारी किसी स्टॉक, शेयर अथवा प्रतिभूतियों अथवा पण्यों अथवा किसी भी विवरण की बहुमूल्य वस्तुओं की सट्टेबाजी नहीं करेगा अथवा वह ऐसे निवेश नहीं करेगा, जो उसे अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में असमंजस में डालने वाले हों अथवा उनसे उसके प्रभावित होने की आशंका हो :

परंतु यह कि इस विनियम की किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि वह किसी भी अधिकारी पर अपनी स्वयं की निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में वास्तविक निवेश करने की रोक लगाती है, जिन्हें वह खरीदना चाहे।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए शेयरों अथवा प्रतिभूतियों अथवा अन्य निवेशों की बारंबार खरीद अथवा बिक्री दोनों को ही सट्टेबाजी माना जाएगा।

19. **ऋणग्रस्तता –** कोई भी अधिकारी अपने निजी मामलों का इस प्रकार प्रबंध करेगा कि वह आदतन ऋणग्रस्तता अथवा दिवालिया होने से बच सके और जिस अधिकारी के विरुद्ध उस पर बकाया किसी ऋण की वसूली के लिए अथवा उसे दिवालिया अधिनिर्णीत किए जाने के लिए कोई विधिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो वह विधिक कार्यवाहियों के पूरे तथ्य की सूचना बैंक को तत्काल देंगे।

20. **चल, अचल और अन्य बहुमूल्य संपत्ति की घोषणा**

(1) प्रत्येक अधिकारी लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में अपनी आस्तियों और देयताओं संबंधी घोषणा करेगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित से संबंधित जानकारी बैंक में नियुक्ति होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है–

(क) ऐसी आस्तियां, जिस पर वह और उसके पति / पत्नी और उस पर निर्भर बच्चे संयुक्त रूप से या अलग–अलग रूप से मालिकाना हक रखते हों या उसमें लाभार्थी हों;

(ख) उसकी और उसके पति / पत्नी और उस पर निर्भर बच्चों की देयताएं।

(3) उप विनियम (2) में संदर्भित अनुसार, प्रत्येक अधिकारी द्वारा उस वर्ष में यथा 31 मार्च को अपनी ऐसी आस्तियों और देयताओं के वार्षिक रिटर्न सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) उप विनियम (2) के अंतर्गत दी गई सूचना और उप विनियम (3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) में निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के उद्देश्य के लिए आश्रित बच्चों से तात्पर्य ऐसे पुत्र व पुत्री से है जिनकी अलग से कोई अन्य आय नहीं है और वे आजीविका के लिए अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित हैं।

IndiaCode

Provided further that an officer may obtain a loan from a co-operative credit society of which he is a member or stand as a surety in respect of a loan taken by another member from a co-operative credit society of which he is a member.

16. **Advance drawal of salary.**—No officer shall draw his salary in advance without the previous sanction of the Competent Authority.

17. **Subscriptions.—** No officer shall, except with the previous sanction of the Competent Authority, ask for or accept contributions to or otherwise associate himself with the raising of any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any objective whatsoever.

18. **Speculations in stocks and shares and investments.—** No officer shall speculate in any stock, share or securities or commodities or valuables of any description or shall make investments which are likely to embarrass or influence him in the discharge of his duties :

Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an officer from making a bonafide investment of his own funds in such securities as he may wish to buy.

Explanation.— For the purposes of this regulation, frequent purchase or sale or both of shares or securities or other investments shall be deemed to be speculation for the purpose of this regulation.

19. **Indebtedness.—** An officer shall manage his private affairs so as to avoid habitual indebtedness or insolvency and any officer against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the legal proceedings to the Bank.

20. **Declaration of movable, immovable and other valuable property.**

(1) Every officer shall make a declaration of his assets and liabilities in the prescribed format under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014).

(2) Every officer, within a period of thirty days from the date of joining the Bank, shall be required to furnish to the Competent Authority the information relating to —

(a) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;

(b) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.

(3) Every officer shall file with the Competent Authority, on or before the 31st July of every year, an annual return of such assets and liabilities, as referred to in sub-regulation (2), as on the 31st March of that year.

(4) The information under sub-regulation (2), and annual return under sub-regulation (3) shall be furnished to the Competent Authority in the prescribed format under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014).

Explanation.— For the purposes of this regulation, "dependent children" means sons and daughters who have no separate income and are wholly dependent on the officer for their livelihood.

IndiaCode

(5) यदि कोई अधिकारी इरादतन या न्यायोचित कारण दिए बिना निम्न में नाकाम रहता है–

(i) अपनी आस्तियों की घोषणा करने में; अथवा

(ii) ऐसी आस्तियों के संबंध में गुमराह करने वाली सूचना देता है और यदि घोषित आस्तियों अथवा जिनके संबंध में गुमराह करने वाली सूचना दी गई है, के अतिरिक्त आस्तियां पाई जाती हैं, और ऐसी आस्तियां जब तक अन्यथा साबित हो जाती हैं, अधिकारी से संबंधित मानी जाती हैं, तो उन्हें भ्रष्ट माध्यमों से जुटाई गई आस्तियां माना जाएगाः

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन आस्तियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने से छूट दी जा सकती है, जो निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य की न हों।

21. किसी अधिकारी के कार्य और चरित्र की प्रामाणिकता – कोई भी अधिकारी, बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी ऐसे शासकीय कार्य की प्रामाणिकता के लिए किसी न्यायालय अथवा प्रेस का सहारा नहीं लेगा जिसकी विषय–वस्तु प्रतिकूल आलोचना अथवा मानहानिकारक स्वरूप की हो :

परंतु यह कि इस विनियम की किसी भी बात से यह नहीं माना जाएगा कि वह किसी अधिकारी के द्वारा निजी चरित्र अथवा अपनी निजी हैसियत से किए गए किसी ऐसे कार्य की प्रामाणिकता को निषिद्ध करता है और जहां अधिकारी द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है वहां वह ऐसी कार्रवाई के संबंध में अपने से ठीक ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी को, उसके द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई की तारीख से 3 महीनों की अवधि के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

22. विवाह विषयक प्रतिबंध

(1) कोई भी अधिकारी,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह के लिए करार किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है; अथवा

(ख) जीवित पति / पत्नी के रहते, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यह कि यदि बैंक, ऐसे अधिकारी और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह को अनुमत समझता है और इस प्रकार के कृत्य के लिए अन्य आधार हैं और बैंक संतुष्ट होता है, तो किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दी जा सकती है।

(2) कोई अधिकारी जिसने भारतीय नागरिकता से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करता है तो उसके द्वारा बैंक को तत्काल इस तथ्य की सूचना दी जाएगी।

23. मादक पेयों और ड्रग्स का उपभोग करना – किसी अधिकारी द्वारा

(क) किसी भी क्षेत्र में, जिसमें वह वर्तमान समय में है, मादक पेयों और ड्रग्स संबंधी लागू किसी भी कानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा;

(ख) अपनी ड्यूटी के दौरान, किसी मादक पेय अथवा किसी ड्रग के नशे में नहीं होगा और इस बात का भली–भांति ध्यान रखेगा कि उसकी ड्यूटी कभी भी ऐसे मादक पेय और ड्रग्स के सेवन से प्रभावित न हो;

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी मादक पेय अथवा ड्रग लेने से दूर रहेगा;

(घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा;

(ङ) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय अथवा ड्रग नहीं लेगा।

IndiaCode

(5) If any officer wilfully or without any justifiable reasons, fails to,

(i) declare his assets; or

(ii) gives misleading information in respect of such assets and is found to be in possession of assets not disclosed or in respect of which misleading information was furnished, then, such assets shall, unless otherwise proved, be presumed to belong to the officer and shall be presumed to be assets acquired by corrupt means:

Provided that the Competent Authority may condone or exempt the officer from furnishing information in respect of assets not exceeding such minimum value as may be specified.

21. Vindication of act and character of an officer.— No officer shall, except with the previous sanction of the Bank, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act, which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character:

Provided that nothing in this regulation shall be deemed to prohibit an officer from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where such action is taken by him, the officer shall submit a report to his immediate superior within a period of three months from the date such action is taken by him.

22. Restriction regarding marriage.

(1) No officer,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Bank may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such officer and the other party to the marriage; and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

(2) An officer who has married or marries a person other than of an Indian national shall forthwith intimate the fact to the Bank.

23. Consumption of intoxicating drinks and drugs.— An officer shall,

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;

(b) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duty at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug;

(c) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;

(d) not appear in a public place in a state of intoxication;

(e) not use any intoxicating drink or drug to excess.

IndiaCode

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, सार्वजनिक स्थल से कोई भी वह स्थल अथवा परिसर (क्लबों, यहां तक कि केवल सदस्यता वाले क्लबों, जहां सदस्यों को गैर–सदस्य को अतिथियों के रूप में बुलाने की अनुमति है, बार और रेस्त्राओं, परिवहन सहित) अभिप्रेत है, जहां जनसामान्य को भुगतान करके या अन्यथा पहुंच है या पहुंचने की अनुमति है।

24. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर प्रतिबंध

(1) कोई भी अधिकारी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कोई कृत्य नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी, जो किसी कार्यस्थल का प्रभारी है, अपने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण– इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित ऐसे अवांछनीय यौन कार्य या व्यवहार (चाहे वह प्रत्यक्ष है अथवा विवक्षित रूप से है) शामिल हैं यथा :

(क) शारीरिक संपर्क और नजदीकी बढ़ाना ;

(ख) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध करना ;

(ग) यौन रंजित टिप्पणियां करना ;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना ; और

(ङ) यौन स्वरूप का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना, जिनमें उपर्युक्त में से कोई भी कृत्य, उन परिस्थितियों में किया गया है जिनमें ऐसे आचरण से पीड़ित के पास अपने रोजगार अथवा कार्य के संबंध में, समुचित आशंका है कि ऐसा आचरण अपमानजनक हो सकता है तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्या खड़ी कर सकता है।

नोट– उदाहरणार्थ यह पक्षपातपूर्ण है कि जब किसी महिला के पास यह विश्वास करने के समुचित कारण हैं कि उसकी आपत्ति करना, उसके रोजगार अथवा कार्य, जिसमें भर्ती अथवा पदोन्नति शामिल है, के सिलसिले में हानिकर होगा अथवा यह प्रतिकूल कार्य परिवेश सृजित करेगा, यदि पीड़ित उस अनुचित आचरण के लिए सहमति नहीं देती है अथवा उसके लिए आपत्ति दर्ज कराती है तो उसे इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

IndiaCode

Explanation.— For the purposes of this regulation, 'public place' means any place or premises (including clubs, even exclusively meant for members where it is permissible for the members to invite non-members as guests, bars and restaurants, conveyance) to which the public have or are permitted to have access, whether on payment or otherwise.

24. Prohibition of sexual harassment of women in workplaces.

(1) No officer shall commit the act of sexual harassment of women in workplaces.

(2) Every officer who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

Explanation.— For the purposes of this regulation, sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or by implication) as;

(a) physical contact and advances;

(b) a demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pornography; and

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature, where any of these acts is committed in the circumstances whereunder the victim of such conduct has a reasonable apprehension that in relation to the victim's employment or work, such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem.

IndiaCode

Note.— It is discriminatory for instance when the woman has reasonable grounds to believe that her objection shall disadvantage her in connection with her employment or work including recruiting or promotion or when it creates a hostile work environment, adverse consequences might be visited, if the victim does not consent to the conduct in question or raises any objection thereto.

अध्याय III
अनुशासन और अपील

25. कदाचार – कोई भी अधिकारी जो इन विनियमों का उल्लंघन करता है, उसे कदाचार करने वाला माना जाएगा और उसे इन विनियमों के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।

26. दंड – किसी अधिकारी द्वारा किए गए कदाचार के लिए उस पर निम्नलिखित दंड लगाए जा सकते हैं:–

लघु शास्ति (दंड):

(क) निंदा करना अथवा चेतावनी देना;

(ख) एक या एक से अधिक वेतनवृद्धियों का स्थायी रूप से अथवा निर्धारित अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना रोका जाना;

(ग) पदोन्नति का रोका जाना;

(घ) उसके वेतन या उसे जो भी राशि देय हो उससे, उसकी लापरवाही अथवा आदेशों के उल्लंघन के कारण बैंक को हुई किसी आर्थिक हानि की पूर्णतः अथवा अंशतः वसूली;

(ङ) अधिकतम तीन वर्षों के लिए निम्नतर वेतनमान में निम्नतर चरण में, संचयी प्रभाव के बिना और अधिकारी की पेंशन पर प्रभाव के बिना पदावनति;

दीर्घ शास्ति:

(च) उपर्युक्त (ङ) में दिए गए अनुसार, निर्धारित अवधि के लिए उस समय में निम्नतर चरण में पदावनति, इन निर्देशों के साथ कि अधिकारी इस प्रकार की पदावनति की अवधि के दौरान कोई वेतनवृद्धि मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है और ऐसी अवधि समाप्त होने पर उसके भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है;

(छ) निम्नतर वेतनमान (ग्रेड) अथवा पद पर पदावनति;

(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(झ) सेवा से पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन के लिए अयोग्यता नहीं होगी;

(ञ) पदच्युति, जो भविष्य में नियोजन के लिए अयोग्यता होगी।

27. अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने और शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार

(1) सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा सामान्य या विशिष्ट आदेश के जरिए शक्ति प्रदत्त अन्य प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकरण की स्थापना करने एवं अनुशासनिक प्राधिकारी को बैंक के किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश दे सकता है।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी विनियम 26 में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लगा सकता है।

IndiaCode

CHAPTER III
DISCIPLINE AND APPEAL

25. Misconduct.— Any officer who violates any of the provisions of these regulations shall be deemed to have committed misconduct and shall be punishable under these regulations.

26. Penalties.— The following penalties may be imposed on an officer, for misconduct committed by him, namely:—

Minor penalties:

(a) censure or warning;

(b) withholding of one or more increments either permanently or for a specified period with or without cumulative effect;

(c) withholding of promotion;

(d) recovery from pay or such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders;

(e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting the officer's pension.

IndiaCode

Major penalties:

(f) save as provided in (e) above, reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer shall earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction shall or shall not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(g) reduction to a lower grade or post;

(h) compulsory retirement;

(i) removal from service which shall not be a disqualification for future employment;

(j) dismissal which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

27. Authority to institute disciplinary proceedings and impose penalties.

(1) The competent authority or any other authority empowered by him by general or special order may institute or direct the Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against an officer of the Bank.

(2) The Disciplinary Authority may impose any of the penalties specified in regulation 26.

28. दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया

(1) विनियम 26 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) एवं (ञ) में निर्दिष्ट दीर्घ शास्ति इस विनियम के अनुसार, केवल जांच होने के बाद ही लगाए जाएंगे।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में जब भी किसी अधिकारी के विरुद्ध कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोपों की सत्यता की जांच करने के आधार हों, तो वह खुद जांच कर सकता है अथवा सत्यता की जांच के लिए किसी भी व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त कर सकता है (इसे आगे जांच अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया है)।

स्पष्टीकरण– इस उप विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर रहा है, तो उप विनियम (8) से (21) तक जांच प्राधिकारी का कोई भी संदर्भ अनुशासनिक प्राधिकारी का संदर्भ समझा जाएगा।

(3) जहां जांच प्रस्तावित है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी उस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों के आधार पर निश्चित और सुस्पष्ट आरोप बनाएगा और आरोप की मदों के साथ, आरोपों के विवरण, साक्ष्यों के दस्तावेजों की सूची और ऐसे दस्तावेजों की प्रतिलिपि, गवाहों के बयानों की प्रति के साथ गवाहों की सूची, यदि कोई हों, जिन पर वे आधारित हों, अधिकारी या कर्मचारी को लिखित में सूचित किया जाएगा और अधिकारी को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समयसीमा (अधिकतम पंद्रह दिन) में इस पर प्रतिरक्षा में अपना पक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों से अधिकतम पंद्रह दिन के लिए और बढ़ाई जा सकती है :

परंतु यह कि किसी भी परिस्थिति में बचाव में अपना लिखित बयान दर्ज कराने की समयसीमा को आरोपों की मदें प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

परंतु यह और कि जहां कहीं भी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करना संभव नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी को इस संबंध में दी गई समयसीमा में ऐसे दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति देगा।

(4) निर्धारित समयसीमा में अथवा उप विनियम (3) के अंतर्गत प्रदान किए गए समय में अधिकारी के लिखित बयान प्राप्त होने पर अथवा इस प्रकार का कोई बयान प्राप्त न होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जा सकती है अथवा वह आवश्यकता समझने पर, उप विनियम (2) के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है :

बशर्ते कि अपने लिखित विवरण में अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए आरोप की मदों के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक नहीं होगा लेकिन ऐसे प्रत्येक आरोप के बारे में इसके निष्कर्षों को रिकॉर्ड किया जाना आवश्यक होगा।

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहां वह जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रेषित करेगाः

(i) आरोपों की मदों और दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार के अभियोग के कथनों की प्रतियां;

(ii) अधिकारी द्वारा प्रतिरक्षा में दिए गए लिखित कथन, यदि कोई है तो, की प्रति;

(iii) दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची, जिसके द्वारा आरोपों की मदों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है;

28. Procedure for imposing major penalties.

(1) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 26 shall be made except after an inquiry is held in accordance with this regulation.

(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer, it may itself enquire into, or appoint any other person (hereinafter referred to as the Enquiring Authority) to inquire into the truth thereof.

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation, it is clarified that while Disciplinary Authority itself is holding the inquiry, any reference to Enquiring Authority in sub-regulations (8) to (21) shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority.

(3) Where it is proposed to hold an enquiry, the Disciplinary Authority shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the officer or employee and the articles of charge, together with a statement of allegations, list of documents relied on along with copy of such documents and list of witnesses along with copy of statement of witness, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the officer or employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding fifteen days), which may be further extended for a period not exceeding fifteen days at a time for reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorised by the Disciplinary Authority on his or her behalf:

Indiacode

Provided that under no circumstances, the extension of time for filing written statement of defence shall exceed forty-five days from the date of receipt of articles of charge.

Provided further that, wherever it is not possible to furnish the copies of documents, the Disciplinary Authority shall allow the officer to inspect such documents within a time specified in this behalf.

(4) On receipt of the written statement of the officer, or if no such statement is received within the time specified or such time as may be granted under sub-regulation (3), an inquiry may be held by the Disciplinary Authority itself, or if it considers necessary so to do, appoint under sub-regulation (2) an Enquiring Authority for the purpose:

Provided that it may not be necessary to hold an inquiry in respect of the articles of charge admitted by the officer in his written statement but shall be necessary to record its findings on each such charge.

(5) The Disciplinary Authority shall, where it is not the Enquiring Authority, forward to the Enquiring Authority:

(i) a copy of the articles of charges and statements of imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the officer;

(iii) a list of documents by which and list of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be substantiated;

(iv) गवाह के बयानों, यदि कोई हैं, तो उनकी प्रति;

(v) उप विनियम (3) के अंतर्गत आरोपों की मदों की डिलीवरी के साक्ष्य की प्रति;

(vi) उप विनियम (6) के संबंध में, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश की प्रति।

(6) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है या जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहां वह आदेश के जरिए आरोपों की मदों के समर्थन में अपनी ओर से केस प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

(7) अधिकारी इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी की सहायता ले सकता है, किन्तु किसी विधि व्यवसायी की सेवाएं तब तक नहीं लेगा, जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विधि अधिकारी न हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी न हो, केस की परिस्थितियों के संबंध में, जैसा भी अनुमत हो।

नोट– ऐसा अधिकारी या कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी की सहायता नहीं लेगा, जिसके पास स्वयं दो केस लंबित हैं, जिनमें उसे सहायता देनी है।

(8) (क) जांच प्राधिकारी द्वारा अधिकारी को लिखित में नोटिस द्वारा वह दिन सूचित किया जाएगा, जब उस अधिकारी को जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होना है।

(ख) जांच प्राधिकारी द्वारा नोटिस में निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होगा।

(ग) जांच प्राधिकारी अधिकारी को पूछेगा कि वह खुद को दोषी मानता है अथवा प्रतिरक्षा में कुछ कहना चाहता है। यदि वह आरोपों की मदों में से किसी के लिए भी खुद को दोषी मानता है तो जांच प्राधिकारी उसका वाद रिकॉर्ड करेगा और उस पर संबंधित अधिकारी का हस्ताक्षर लेगा।

(घ) जांच प्राधिकारी उन आरोपों के संबंध में दोष के निष्कर्ष देगा, जिन पर अधिकारी ने दोषी होना स्वीकार किया है।

(9) यदि अधिकारी दोष स्वीकार नहीं करता है तो जांच प्राधिकारी मामले को अगली सुनवाई की तारीख तक के लिए स्थगित करेगा, जो 30 दिन से अधिक नहीं होगी अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए समय से अधिक नहीं होगी।

(10) उप विनियम (9) के अंतर्गत मामले को स्थगित करते समय जांच प्राधिकारी एक आदेश के जरिए यह भी रिकॉर्ड करेगा कि अधिकारी प्रतिरक्षा में तैयार करने के प्रयोजन के लिए –

(i) यदि अधिकारी ने उप विनियम (3) के प्रावधान के अनुसार उसे प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची में दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं किया है तो वह इसे तुरंत पूरा करेगा और यह कार्य ऐसे आदेश देने के अधिकतम पांच दिन में पूरा करेगा;

(ii) उन दस्तावेजों और गवाहों की सूची प्रस्तुत करेगा, जो वह जांच के लिए चाहता है;

(iii) आदेश के दस दिन में अथवा मद (ii) में संदर्भित दस्तावेजों की खोज या उन्हें प्रस्तुत करने के लिए जांच प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम दस दिन के भीतर नोटिस देगा।

(11) जांच प्राधिकारी दस्तावेजों की खोज अथवा प्रस्तुत करने के लिए नोटिस मिलने पर, उस प्राधिकारी को वह नोटिस या उसकी प्रति तथा इसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध भेजेगा, जिसके पास वे दस्तावेज रखे हैं।

IndiaCode

(iv) a copy of statements of the witness, if any;

(v) evidence proving the delivery of articles of charge under sub-regulation (3);

(vi) a copy of the order appointing the Presenting Officer in terms of sub-regulation (6).

(6) Where the Disciplinary Authority itself enquires or appoint an Enquiring Authority for holding an inquiry, it may, by an order, appoint another officer to be known as the "Presenting officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(7) The officer may take the assistance of any other officer or employee but shall not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal officer or the Disciplinary Authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

Note.— The officer shall not take the assistance of any other officer or employee who has two pending disciplinary cases in his hand in which he has to give assistance.

(8) (a) The Enquiring Authority shall by notice in writing specify the day on which the officer shall appear in person before the Enquiring Authority.

(b) On the date fixed by the Enquiring Authority, the officer shall appear before the Enquiring Authority at the time, place and date specified in the notice.

(c) The Enquiring Authority shall ask the officer whether he pleads guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Enquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the officer concerned thereon.

(d) The Enquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the officer concerned pleads guilty.

(9) If the officer does not plead guilty, the Enquiring Authority shall adjourn the case for further hearing to a later date not exceeding thirty days or within such extended time as may be granted by the Enquiring Authority.

(10) The Enquiring Authority while adjourning the case under sub-regulation (9), shall also record by an order that the officer may for the purpose of preparing defence —

(i) complete inspection of the documents as in the list furnished to him immediately and in any case not exceeding five days from the date of such order, if he had not done so earlier, as provided for in the proviso to sub-regulation (3);

(ii) submit list of documents and witnesses, that he wants for the inquiry;

(iii) give notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Enquiring Authority may allow for the discovery or production of the documents referred to in item (ii).

(11) The Enquiring Authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of the documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the

IndiaCode

(12) उप विनियम (11) के अंतर्गत अनुरोध मिलने पर, इन अपेक्षित दस्तावेजों को रखने वाला प्राधिकारी उक्त दस्तावेज निर्दिष्ट दिन, समय और स्थल पर जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा :

परंतु यह कि यदि अपेक्षित दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने वाला प्राधिकारी लिखित में दिए गए कारणों से संतुष्ट होता है कि ऐसे दस्तावेजों या उनमें से कुछ दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जनहित या राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध होगा, जो वह तदनुसार जांच प्राधिकारी को सूचित करेगा और जांच प्राधिकारी ऐसा सूचित किए जाने पर संबंधित अधिकारी को सूचना प्रेषित करेगा और सूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को ढूँढ़ने या प्रस्तुत करने के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेगा।

(13) जांच के लिए निर्धारित तारीख को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, जिसके जरिए आरोपों की मदें सिद्ध करना प्रस्तावित किया गया है, को अनुशासनिक प्राधिकारी के द्वारा या उनकी ओर से प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की जांच प्रस्तुतीकरण देने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी और अधिकारी द्वारा अथवा अधिकारी की ओर से किसी के द्वारा उसकी पुनः जांच की जाएगी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को उसके साक्ष्य की उनमें से किसी भी बिंदु पर पुनः जांच करने का अधिकार दिया जाएगा, जिन पर उनकी पुनः जांच की गई है, किन्तु जांच प्राधिकारी की अनुमति के बिना नए मामले में ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी एवं जांच प्राधिकारी आवश्यक समझे तो स्वयं भी इस प्रकार के सवाल कर सकता है।

(14) मामले को बंद करने से पहले, आरोपों के समर्थन में, जांच प्राधिकारी, अपने विशेषाधिकार से, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को आरोप पत्र में शामिल न किए गए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है या नए साक्ष्य प्रस्तुत करने या गवाह को दोबारा प्रस्तुत करने अथवा पुनः जांच करने को कह सकता है। ऐसे मामले में, रिकॉर्ड पर लेने अथवा किसी गवाह को समन कर पुनः जांच करने से पहले अधिकारी को दस्तावेजी साक्ष्यों का पुनः निरीक्षण करने का अवसर दिया जाएगा और यदि न्याय के लिए इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना जांच प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो वह अधिकारी को भी नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

(15) जब मामले को आरोपों के समर्थन में बंद किया जाता है, तो अधिकारी को अपने बचाव में मौखिक या लिखित रूप में कुछ कहने की जरूरत होती है, तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और अधिकारी द्वारा उस रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा और दोनों ही मामलों में, प्रतिरक्षा के कथन, यदि कोई है, की प्रति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को दी जाएगी।

(16) इसके बाद अधिकारी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और अधिकारी स्वयं अपनी ओर से उनकी जांच कर सकता है, यदि वह करना चाहे तो तथा इसके बाद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाह की जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा उसकी पुनः जांच की जा सकती है एवं अधिकारी को अपने किसी भी गवाह की किसी भी बिंदु पर, जिस पर उनकी पुनः जांच की गई है, पुनः जांच करने का अधिकार दिया जाएगा, किन्तु जांच प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी नए मामले में अनुमति नहीं दी जाएगी।

(17) अधिकारी द्वारा अपने साक्ष्य बंद किए जाने के बाद, यदि अधिकारी ने स्वयं की जांच नहीं कराई है तो जांच प्राधिकारी उससे सामान्य रूप से उन परिस्थितियों के संबंध में सवाल कर सकता है और करेगा, जो साक्ष्य में उसके विरुद्ध सामने आ रही हैं, ताकि अधिकारी साक्ष्य में अपने विरुद्ध सामने आने वाली परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण दे सके।

IndiaCode

documents are kept with a requisition for the production of the documents on such date as may be mentioned in the said requisition.

(12) On the receipt of the requisition under sub-regulation (11), the authority having the custody or possession of the requisitioned documents, shall arrange to produce the same before the Enquiring Authority on the date, place and time specified in the requisition:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest or security of the State, it shall inform the Enquiring Authority accordingly and the Enquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the officer concerned and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(13) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority and the witnesses produced by the Presenting officer shall be examined by the Presenting officer and may be cross-examined by or on behalf of the officer and the Presenting officer shall be entitled to re-examine his witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on a new matter, without the leave of the Enquiring Authority and the Enquiring Authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(14) Before closing of the case, in support of the charges, the Enquiring Authority may, in its discretion, allow the Presenting officer to produce evidence not included in the charge-sheet or may itself call for fresh evidence or recall or re-examine any witness and in such case, the officer shall be given opportunity to inspect the documentary evidence before it is taken on record, or to cross-examine a witness, who has been so summoned and the Enquiring Authority may also allow the officer to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

(15) When the case in support of the charges is closed, the officer may be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer and if the defence is made orally, it shall be recorded and the officer shall be required to sign the record and in either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting officer, if any, appointed for the purpose.

(16) The evidence on behalf of the officer shall then be produced and the officer may examine himself in his own behalf, if he so prefers and thereafter the witnesses produced by the officer shall then be examined by the officer and may be cross-examined by the Presenting officer and the officer shall be entitled to re-examine any of his witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter without the leave of the Enquiring Authority.

(17) The Enquiring Authority may, after the officer closes his evidence, and shall, if the officer has not got himself examined, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the officer to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

IndiaCode

(18) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, यदि कोई नियुक्ति किया गया है, अथवा अधिकारी के कथन को सुनेगा अथवा उन्हें अपने संबंधित मामलों में साक्ष्य पूरे होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर मामले का संक्षिप्त लिखित ब्यौरा दर्ज कराने को कहेगा, यदि वे ऐसा करना चाहें तो।

(19) यदि अधिकारी उप विनियम (3) में संदर्भित अनुसार इस प्रयोजन के लिए निर्धारित तारीख से पहले या उस तारीख को अपने बचाव में कथन प्रस्तुत नहीं करता है अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा सहायक अधिकारी के जरिए प्रस्तुत नहीं होता है अथवा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में नाकाम रहता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच करेगा।

(20) जब भी कोई जांच प्राधिकारी, किसी जांच में सभी या आंशिक साक्ष्यों की सुनवाई और उसे रिकॉर्ड करने के बाद, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, और किसी मामले को किसी अन्य जांच प्राधिकारी को सौंपा जाता है, जिसे इस प्रकार का अधिकारी हो कि जांच करने वाला जांच प्राधिकारी अपने पूर्वाधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अथवा अपने पूर्वाधिकारी द्वारा आंशिक रूप से एवं आंशिक रूप से स्वयं रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य पर काम कर सकता है :

परंतु यह कि यदि जांच लेने वाले जांच प्राधिकारी की राय में न्यायिक हित में किसी भी ऐसे गवाह की पुनः जांच आवश्यक है, जिनके साक्ष्य पहले रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, तो वह उन्हें दोबारा बुला सकता है, जांच कर सकता है, पुनः जांच कर सकता है और पूर्व में प्रदान किए गए इस प्रकार के किसी भी गवाह की पुनः जांच कर सकता है।

(21) (i) जांच के निष्कर्ष में, जांच प्राधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा, नामतः–

(क) आरोपों की मदों का सारांश और कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के आरोपों का कथन;

(ख) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा का सारांश;

(ग) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन का सारांश;

(घ) प्रत्येक आरोप की मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण– इस उप विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच की कार्यवाही में आरोप की कोई मद, मूल आरोप की मद से अलग पाई जाती है तो इस प्रकार के आरोप की मद पर अपने निष्कर्ष को अभिलेखबद्ध कर सकता हैः

परंतु यह कि ऐसे आरोप की मद पर निष्कर्ष तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जब तक कि अधिकारी द्वारा उन तथ्यों को स्वीकार न कर लिया गया हो, आरोप की जिन मद पर यह आधारित है अथवा उसे इस प्रकार के आरोप की मद के विरुद्ध खुद की प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त अवसर न मिला हो।

(ii) जांच प्राधिकारी, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, जांच के रिकॉर्ड अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) खंड (i) के अंतर्गत तैयार की गई जांच रिपोर्ट;

(ख) उप विनियम (3) में संदर्भित अनुसार अधिकारी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई है;

(ग) जांच के दौरान प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) उप विनियम (18) में संदर्भित अनुसार, लिखित संक्षिप्त ब्यौरा, यदि कोई है; और

IndiaCode

(18) The Enquiring Authority may, after completion of the production of evidence, hear the Presenting officer, if any appointed, or the officer, or permit them to file written briefs of their respective cases within fifteen days of the date of completion of the production of evidence, if they so desire.

(19) If the officer does not submit the written statement of defence referred to in sub-regulation (3) on or before the date specified for the purpose or does not appear in person, or through an assisting officer or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these regulations, the Enquiring Authority may hold the inquiry ex-parte.

(20) Whenever an Enquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another Enquiring Authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the Enquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding Enquiring Authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as herein before provided.

(21) (i) On the conclusion of the inquiry, the Enquiring Authority shall prepare a report which shall contain the following, namely :—

(a) a gist of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) a gist of the defence of the officer in respect of each article of charge;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(d) the findings on each article of charge and the reasons thereof.

Explanation.— For the purposes of this sub-regulation, it is clarified that if, in the opinion of the Enquiring Authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original article of charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the officer has either admitted the facts on which such article of charge is based or has a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The Enquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority the records of inquiry which shall include,-

(a) the report of the inquiry prepared by it under clause (i);

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the officer referred to in sub-regulation (3);

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(d) written briefs referred to in sub-regulation (18), if any; and

IndiaCode

(ङ) जांच के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश, यदि कोई हो।

29. (क) जांच प्राधिकारी जांच पूरी करेगा अथवा करेगी और अपनी रिपोर्ट जांच प्राधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के आदेश की तारीख से छह माह के भीतर प्रस्तुत करेगा अथवा करेगी।

(ख) जहां कहीं खंड (क) में निर्धारित समयसीमा का पालन करना संभव नहीं है, वहां जांच प्राधिकारी द्वारा कारण दर्ज कराते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी से समयसीमा में लिखित में विस्तार मांगा जा सकता है, जिसके द्वारा जांच पूरी करने के लिए अधिकतम छह माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

(ग) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समयसीमा में अधिकतम छह माह का विस्तार लिखित रूप में दिए गए किसी वाजिब और पर्याप्त कारण से दिया जा सकता है।

30. लघु शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया

(1) जहां कहीं भी विनियम 26 के खंड (क) से (ङ) तक में निर्दिष्ट अनुसार, लघु शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, अधिकारी को उसके खिलाफ त्रुटियों के आरोपों के संबंध में लिखित में सूचित किया जाएगा और वह अधिकतम पंद्रह दिन के भीतर अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विस्तारित समयसीमा के भीतर, जो अधिकतम पंद्रह दिन होगी, अपनी प्रतिरक्षा में कथन प्रस्तुत करेगा, यदि कोई हो। अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत कथन पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने से पहले विचार किया जाएगा।

(2) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि मामले में जांच आवश्यक है, तो वह विनियम 28 में उल्लिखित अनुसार दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(3) इस प्रकार के मामलों में कार्यवाहियों के रिकॉर्ड में निम्नलिखित शामिल होगा –

(i) अधिकारी को प्रस्तुत चूकों के आरोपों की प्रति;

(ii) अधिकारी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में यदि कोई कथन है, तो वह कथन; और

(iii) अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश उसके कारण सहित।

31. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई

(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है तो, इसके द्वारा अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, मामले को नए सिरे से और आगे की जांच तथा रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को भेज सकता है और जांच प्राधिकारी इस पर विनियम 28 के प्रावधानों के अनुसार आगे की जांच करेगा।

(2) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों की किसी भी मद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होता है तो इस प्रकार की असहमति के लिए कारण दर्ज करेगा और यदि इस प्रयोजन के लिए साक्ष्य पर्याप्त है तो ऐसे आरोपों पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को दर्ज करेगा।

(3) यदि आरोपों की सभी अथवा किन्ही मदों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी की अपने निष्कर्षों पर यह राय है कि अधिकारी पर विनियम 26 में निर्धारित कोई भी शास्ति अधिरोपित की जा सकती है तो विनियम 30 में किसी भी बात के होते हुए, इस प्रकार की शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश देगा।

(4) यदि आरोपों की सभी अथवा किन्ही मदों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी की अपने निष्कर्षों पर यह राय है कि कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जानी चाहिए, तो वह संबंधित अधिकारी को निर्दोष करार देते हुए आदेश पारित करेगा।

(5) इस विनियम अथवा विनियम 28 अथवा 30 के अंतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश संबंधित अधिकारी को

(e) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the Enquiring Authority in regard to the inquiry.

29. (a) The Enquiring Authority should conclude the inquiry and submit his or her report within a period of six months from the date of receipt of order of his or her appointment as Enquiring Authority.

(b) Where it is not possible to adhere to the time limit specified in clause (a), the Enquiring Authority may record the reasons and seek extension of time from the Disciplinary Authority in writing who may allow an additional time not exceeding six months for completion of the Enquiry at a time.

(c) The extension for a period not exceeding six months at a time may be allowed for any good and sufficient reasons to be recorded in writing by the Disciplinary Authority or any other Authority authorized by the Disciplinary Authority on his/her behalf.

30. Procedure for imposing minor penalties.

(1) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in clauses (a) to (e) of regulation 26, the officer concerned shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding fifteen days or such extended period as may be granted by the Disciplinary Authority and the defence statement, if any, submitted by the officer shall be taken into consideration by the Disciplinary Authority before passing orders.

(2) Where, the Disciplinary Authority is satisfied that an enquiry is necessary, it shall follow the procedure for imposing a major penalty as laid down in regulation 28.

(3) The record of the proceedings in such cases shall include —

(i) a copy of the statement of imputations of lapses furnished to the officer;

(ii) the defence statement, if any of the officer ; and

(iii) the orders of the Disciplinary Authority together with the reasons thereof.

31. Action on the inquiry report.

(1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the Enquiring Authority, may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the Enquiring Authority for fresh or further inquiry and report and the Enquiring Authority shall thereupon proceed to hold further inquiry according to the provisions of regulation 28 as far as may be.

(2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Enquiring Authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in regulation 26 should be imposed on the officer, it shall, notwithstanding anything contained in regulation 30, make an order imposing such penalty.

(4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that no penalty is called for, it may pass an order exonerating the officer concerned.

India Code

संप्रेषित किए जाएंगे, जिसे यदि कोई जांच रिपोर्ट होती है, तो उसकी कॉपी भी भिजवाई जाएगी।

32. कुछ नियत मामलों में विशेष प्रक्रिया – विनियम 28 और 30 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी –

(i) जहां किसी अधिकारी पर कदाचार के आधार पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, जो सुदृढ़ तथ्यों पर अथवा न्यायिक सुनवाई के बाद दिए गए निष्कर्षों पर आपराधिक आरोप सिद्ध हुआ है; अथवा

(ii) जहां संबंधित प्राधिकारी लिखित में दर्ज कराए गए कारणों से संतुष्ट है कि इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना युक्तिपूर्वक व्यावहारिक नहीं है; अथवा

(iii) जहां किसी अधिकारी ने अपना पद त्याग दिया है, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले की परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है और कोई भी आदेश पारित करने से पहले अधिकारी को प्रस्तावित शास्ति पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने के बाद अगला आदेश पारित किया जा सकता है।

33. निलंबन

(1) सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी को निलंबन के अधीन रख सकता है –

(क) जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है अथवा लंबित हो; अथवा

(ख) जब किसी दंडनीय अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई मामला तफतीश, जांच अथवा सुनवाई के अधीन हो;

(2) किसी अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निम्नलिखित परिस्थिति में निलंबन के अधीन माना जाएगा –

(क) यदि अधिकारी को 48 घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे हिरासत की तारीख से उसे निलंबित माना जाएगा, भले किसी आपराधिक आरोप में रखा गया हो या अन्यथा;

(ख) उस पर आरोप तय करने की तारीख से, यदि किसी अपराध के लिए उसे दोषी माना जाता है, तो उसे 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास का आदेश दिया जाता है और उसे इस प्रकार के दोष सिद्ध होने पर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त या पदच्युत अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति नहीं दी जाती है।

स्पष्टीकरण– इस उप–विनियम के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, 48 घंटे की अवधि की गणना आरोप तय होने के बाद कारावास प्रारंभ होने की तिथि से की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की अनिरंतर अवधि, यदि कोई हो, की भी गणना की जाएगी।

(3) जब निलंबन के अधीन रहने वाले अधिकारी पर सेवा से बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का लगाया गया दंड, इन विनियमों के अंतर्गत अपील अथवा समीक्षा पर मुल्तवी कर दिया जाता है तथा मामला और आगे की जांच अथवा कार्रवाई के लिए अथवा किन्हीं अन्य निदेशों के साथ प्रेषित किया जाता है, वहां उसके निलंबन के आदेश को जारी माना जाएगा और यह निलंबन उसकी बर्खास्तगी, पदच्युति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से लागू रहेगा और अगले आदेशों तक लागू रहेगा।

(4) (क) इस विनियम के अंतर्गत दिया गया अथवा माना गया निलंबन का आदेश, तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित न कर दिया जाए अथवा आदेश को हटा न दिया जाए।

(ख) इस विनियम के अंतर्गत दिया गया अथवा माना गया निलंबन का आदेश, उस प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, जिसने आदेश दिया है या जिसके द्वारा आदेश दिया गया माना गया है।

IndiaCode

(5) The orders of the Disciplinary Authority under this regulation or regulation 28 or 30 shall be communicated to the officer concerned, who shall also be supplied with a copy of the report of inquiry, if any.

32. Special procedure in certain cases.— Notwithstanding anything contained in regulations 28 and 30—

(i) where penalty is imposed on an officer on the ground of misconduct which had led to a conviction on a criminal charge or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial; or

(ii) where the authority concerned is satisfied for the reasons to be recorded in writing, that it is not reasonably practicable to follow the procedure specified in these regulations; or

(iii) where an officer has abandoned his post, the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and pass such orders thereon as it deems fit after giving an opportunity to the officer of making representation on the penalty proposed to be imposed before passing any order.

33. Suspension.

(1) The Competent Authority may place an officer under suspension—

(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

IndiaCode

(2) An officer shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the competent authority —

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours.

(b) with effect from the date of conviction, if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forth-with dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation.— For the purposes of clause (b) of this sub-regulation, the period of forty-eight hours shall be computed from the date of commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an officer under suspension is set aside on appeal or on review under these regulations and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) (a) an order of suspension made or deemed to have been made under this regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) an order of suspension made or deemed to have been made under this regulation may at any time be modified or revoked by the authority which made or shall be deemed to have made the order.

34. निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता

(1) जिस अधिकारी को निलंबन के अधीन रखा गया है वह ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान और उप–विनियम (2) से (4) तक के अधीन बैंक के जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में निम्नलिखित पैमाने के अनुसार भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा, नामतः

(क) मूल वेतन –

(i) निलंबन के पहले तीन महीनों के लिए अधिकारी के मूल वेतन का 1/3 (एक तिहाई) हिस्सा, जो वह निलंबन की तारीख से पहले तक प्राप्त कर रहा था, भले ही जांच का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो;

(ii) निलंबन की तारीख से 3 महीनों के बाद की अनुवर्ती अवधि के लिए,

(I) जहां बैंक द्वारा विभागीय रूप से जांच की गई हो, वहां उस मूल वेतन का 1/2 (आधा) भाग, जिसे अधिकारी निलंबन की तारीख से पहले आहरित कर रहा था; और

(II) जहां किसी बाहरी एजेंसी द्वारा जांच की गई हो, वहां अगले तीन महीनों के लिए मूल वेतन का 1/3 (एक तिहाई) भाग और निलंबन की शेष अवधि के लिए मूल वेतन का 1/2 (आधा) भाग।

(ख) भत्ता –

(i) निलंबन की संपूर्ण अवधि के लिए महंगाई भत्ते और वाहन तथा आदर–सत्कार भत्ते को छोड़कर अन्य भत्तों की गणना खंड (क) की (i) और (ii) मदों में उल्लिखित अनुसार घटे हुए वेतन के आधार पर और लागू वर्तमान दरों पर अथवा समान श्रेणी के अधिकारियों पर लागू दरों पर की जाएगी।

(ii) निलंबन की अवधि के दौरान कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा दिए गए आवास के लिए हकदार नहीं होगा अथवा बैंक की कार के मुफ्त उपयोग अथवा वाहन या आदर–सत्कार भत्ते की प्राप्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(iii) बैंक का कोई भी अधिकारी तब तक निर्वाह भत्ता पाने का पात्र नहीं होगा, जब तक वह यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि वह किसी अन्य नियोजन, व्यवसाय, प्रोफेशन अथवा कार्य में संलग्न नहीं है।

(iv) यदि कोई अधिकारी निलंबन की अवधि के दौरान अपनी अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया जाएगा।

35. सेवा से निष्कासन अथवा निलंबन पर वेतन, भत्तों और सेवा का निरूपण

(1) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि अधिकारी को पूर्णतः कार्यमुक्त कर दिया गया है अथवा निलंबन न्यायसंगत नहीं था, वहां संबंधित अधिकारी को ऐसा पूरा वेतन प्रदान किया जाएगा जिसका वह उस समय पात्र होता, जब उसे निलंबित न किया गया हो तथा इस वेतन के साथ उसे ऐसा कोई भी भत्ता दिया जाएगा जिसे वह अपने निलंबन के ठीक पहले प्राप्त कर रहा था अथवा जो बाद में स्वीकृत किया गया हो और सभी अधिकारियों के लिए लागू किया गया हो।

(2) उप–विनियम (1) में संदर्भित मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अधिकारी को वेतन और भत्तों का ऐसा अनुपात प्रदान किया जाएगा जिसका सक्षम प्राधिकारी निदेश दे :

परंतु यह कि इस उप–विनियम के अधीन भत्तों की अदायगी ऐसी अन्य सभी शर्तों के अधीन होगी जिन पर ऐसे भत्ते अनुमत हैं:

34. Subsistence allowance during suspension.

(1) An officer who is placed under suspension shall, during the period of such suspension and subject to sub-regulations (2) to (4) be entitled to receive payment from the Bank by way of subsistence allowance on the following scale, namely:-

(a) Basic Pay—

(i) For the first three months of suspension, 1/3rd of the basic pay which the officer was receiving on the date prior to the date of suspension irrespective of the nature of enquiry,

(ii) For the subsequent period after three months from the date of suspension,

(I) Where the enquiry is held departmentally by the Bank, 1/2 of the basic pay, which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension; and

(II) Where the enquiry is held by an outside agency 1/3 of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension for the next three months and 1/2 of the basic pay which the officer was drawing on the date prior to the date of suspension for the remaining period of suspension.

(b) Allowance —

(i) For the entire period of suspension, dearness allowance and other allowances excepting conveyance allowance, entertainment allowance shall be calculated on the reduced pay as specified in items (i) and (ii) of clause (a) and at the prevailing rates or at rates applicable to similar category of officers.

(ii) During the period of suspension, an officer shall not be entitled to occupation of a rent free house or free use of the Bank's car or receipt of conveyance or entertainment allowance.

(iii) No officer of the Bank shall be entitled to receive payment of subsistence allowance unless he furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(iv) If, during the period of suspension, an officer retires by reason of his attaining the age of superannuation, no subsistence allowance shall be paid to him from the date of his retirement.

35. Pay, allowances and treatment of service on termination or suspension.

(1) Where the Competent Authority holds that the officer has been fully exonerated or that the suspension was unjustifiable, the officer concerned shall be granted the full pay to which he would have been entitled, had he not been suspended, together with any allowance of which he was in receipt immediately prior to his suspension or may have been sanctioned subsequently and made applicable to all officers.

(2) In all cases other than those referred to in sub-regulation (1), the officer shall be granted such proportion of pay and allowances as the Competent Authority may direct :

Provided that the payment of allowances under this sub-regulation shall be subject to all other conditions to which such allowances are admissible:

IndiaCode

परंतु यह भी कि इस उप–विनियम के अधीन मंजूर किए गए वेतन और भत्ते विनियम 34 के अधीन अनुमत निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों से कम नहीं होंगे।

(3) (क) उप–विनियम (1) के अधीन आने वाले मामले में ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को, सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा।

(ख) उप–विनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को तब तक ड्यूटी पर बिताई गई अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से विशेष रूप से यह निदेश न दे कि इस अवधि को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस प्रकार की अवधि माना जाएगा।

36. निलंबन के दौरान छुट्टी – निलंबन के अधीन रहने वाले अधिकारी को किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

37. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

(1) जब किसी ऐसे अधिकारी के निलंबन का आदेश दिया गया हो अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई हो, जो बैंक में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी बैंक अथवा बैंकिंग कंपनी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वामित्व वाली संस्था अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्रतिनियुक्ति पर हो, तो सेवा प्रदाता प्राधिकरण (यहां आगे ''प्रदाता प्राधिकरण'' के रूप में संदर्भित) को उसके निलंबन की परिस्थितियों अथवा अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के संबंध में, जैसा भी मामला हो, सूचित किया जाएगा।

(2) नियोजित अथवा प्रतिनियुक्त अधिकारी के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही में निष्कर्षों के प्रकाश में –

(क) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि उस पर कोई लघु शास्ति अधिरोपित की जाएगी, तो वह मामले में प्रदाता प्राधिकारी से परामर्श के बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता हैः

परंतु यह कि अनुशासनिक प्राधिकारी और प्रदाता प्राधिकारी में मतैक्य न होने की स्थिति में, ऐसे अधिकारी की सेवाएं प्रदाता प्राधिकारी के निपटान पर छोड़ दी जाएंगी;

(ख) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि उस अधिकारी पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जाएगी, तो वह उसकी सेवाएं प्रदाता प्राधिकारी के निपटान से परिवर्तित कराएगा और आवश्यकतानुसार जांच की कार्यवाहियां उसे हस्तांतरित करेगा।

(3) यदि प्रतिनियुक्त पर अधिकारी उप–विनियम (2) के खंड (क) के अंतर्गत अपने पर अधिरोपित की जाने वाली लघु शास्ति के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करता है, तो इसका निपटान प्रदाता प्राधिकारी से परामर्श कर किया जाएगाः

ध्यातव्य है कि अनुशासनिक प्राधिकारी और प्रदाता प्राधिकारी में मतैक्य न होने की स्थिति में, ऐसे अधिकारी की सेवाएं प्रदाता प्राधिकारी के निपटान पर छोड़ दी जाएंगी और आवश्यकतानुसार जांच की कार्यवाहियां उस प्राधिकारी को हस्तांतरित की जाएंगी।

Intranet

Provided further that the pay and allowances granted under this sub-regulation shall not be less than the subsistence and other allowances admissible under regulation 34.

(3) (a) in a case falling under sub-regulation (1), the period of absence from duty shall, for all purposes, be treated as a period spent on duty.

(b) in a case falling under sub-regulation (2), the period of absence from duty shall not be treated as a period spent on duty unless the Competent Authority specifically directs, for reasons to be recorded in writing, that it shall be so treated for any specific purpose.

36. Leave during suspension.— No leave of any kind shall be granted to an officer under suspension.

37. Employees on deputation from the Central Government, State Governments etc.

(1) Where an order of suspension is made or disciplinary proceeding is taken against an officer who is on deputation to the Bank from the Central Government or the State Government or Reserve Bank of India or a public sector bank or banking company or a public financial institution or an institution wholly or substantially owned by the Reserve Bank of India or a public financial institution or public undertaking, or local authority, the authority lending his services (hereinafter referred to as the "Lending Authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of his suspension, or the commencement of the disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding taken against the officer employed on deputation -

(a) if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the minor penalties shall be imposed on him, it may pass such orders on the case as it deems necessary after consultation with the Lending Authority:

Provided that in the event of a difference of opinion between the Disciplinary Authority and the Lending Authority, the services of such officer shall be placed at the disposal of the Lending Authority;

(b) if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the major penalties shall be imposed on him, it shall replace his services at the disposal of the Lending Authority and transmit to it the proceedings of the enquiry for such action as it deems necessary.

(3) If the officer on deputation submits an appeal against an order imposing a minor penalty on him under clause (a) of sub-regulation (2), it shall be disposed of after consultation with the Lending Authority:

Provided that if there is a difference of opinion between the Appellate Authority and the Lending Authority, the services of such officer shall be placed at the disposal of the Lending Authority, and the proceedings of the case shall be transmitted to that authority for such action as it deems necessary.

IndiaCode

38. अपील का अधिकार

(1) कोई भी अधिकारी जिस पर विनियम 26 में उल्लिखित शास्तियों से कोई शास्ति अधिरोपित की गई है अथवा विनियम 33 में संदर्भित निलंबन का आदेश दिया गया है, वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर अपील की जाएगी।

परंतु यह कि यदि अपील करने वाले अधिकारी द्वारा संतोषजनक कारण प्रस्तुत किया जाता है तो अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त समयसीमा के बाद भी अपील दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, किन्तु किसी भी हाल में यह समयसीमा 60 दिन से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्रति उस प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है।

39. अपीलों को प्रेषित करना– प्राधिकारी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, बिना किसी देरी के संबंधित रिकार्ड के साथ उस पर अपनी टिप्पणियां अपीलीय प्राधिकारी को भेजेगा।

40. अपीलों पर विचार

(1) निलंबन के आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी इस पर विचार करेगा कि क्या विनियम 33 के प्रावधानों के संदर्भ में और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलंबन का आदेश न्यायोचित था अथवा नहीं, तथा वह तदनुसार आदेश की पुष्टि करेगा अथवा उसे रद्द करेगा।

(2) विनियम 26 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध की गई अपील के मामले में अपीलीय अधिकारी यह विचार करेगा कि –

(क) क्या इन विनियमों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है और यदि नहीं किया गया है तो क्या ऐसे अननुपालन से न्याय में विफलता हुई है;

(ख) क्या निष्कर्ष न्यायसंगत है; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त अथवा अपर्याप्त है और वह –

(i) शास्ति को हटाने अथवा कम करने अथवा उसकी पुष्टि करने अथवा उसमें वृद्धि करने के आदेश पारित करेगा; अथवा

(ii) शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देशों के साथ मामला भेजने का आदेश पारित करेगा, जो मामले की परिस्थितियों के अनुकूल हों।

परंतु यह कि –

(i) शास्ति में वृद्धि करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपीलकर्ता को ऐसी बढ़ी हुई शास्ति के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए;

(ii) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित वर्धित शास्ति यदि विनियम 26 के खंड (च) से (ञ) में निर्दिष्ट दीर्घ शास्तियों में से एक है और उक्त विनियम के अंतर्गत मामले में कोई जांच नहीं की गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी स्वयं इस प्रकार की जांच करेगा अथवा इस प्रकार की जांच के निर्देश देगा और अपीलकर्ता को इस प्रकार की शास्ति के विरुद्ध जो सुनवाई वह कराना चाहता है, कराए जाने का अवसर देने के बाद इस प्रकार की जांचों की कार्यवाहियों का विवेचन करने के बाद उपयुक्त आदेश पारित करेगा; और

India Code

38. Right of appeal.

(1) An officer against whom penalties specified in regulation 26 has been imposed or an order of suspension referred to in regulation 33 has been made may appeal to the Appellate Authority.

(2) An appeal shall be preferred within forty-five days from the date of receipt of the order appealed against.

Provided that the Appellate Authority may permit to file the appeal beyond the aforesaid period, if sufficient cause is shown by the officer to the satisfaction of the Appellate Authority but in no case the total period shall exceed sixty days.

Provided further that a copy of the appeal shall be forwarded by the Appellate Authority to the Authority which made the order appealed against.

39. Transmission of appeals.— The authority which made the order appealed against shall, without any delay, forward the comments thereon along with the relevant records to the Appellate Authority.

40. Consideration of appeals.

(1) In the case of an appeal against an order of suspension, the Appellate Authority shall consider whether in the light of the provisions of regulation 33 and having regard to the circumstances of the case the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in regulation 26, the Appellate Authority shall consider

(a) whether the procedure specified in these regulations has been complied with, and if not whether such non-compliance has resulted in failure of justice;

(b) whether the findings are justified; and

(c) whether the penalty imposed is excessive, adequate or inadequate and pass appropriate orders—

(i) setting aside or reducing or confirming or enhancing the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that—

(i) no order imposing an enhanced penalty shall be passed unless the appellant is given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty;

(ii) if the enhanced penalty which the Appellate Authority proposes to impose is one of the major penalties specified in clauses (f) to (j) of regulation 26, and an inquiry under the said regulation has not already been held in the case, the Appellate Authority shall itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held and thereafter on consideration of the proceedings of such inquiries after giving the appellant an opportunity of being heard which he may wish to make against such penalty, pass such orders as it may deem fit; and

IndiaCode

(3) इन विनियमों में उल्लिखित किसी भी बात के रहते हुए, अपीलीय प्राधिकारी अंतिम आदेश की तारीख से छह माह में किसी भी समय, अपने स्वयं के प्रस्ताव से अथवा अन्यथा, उक्त आदेश की समीक्षा तब कर सकता है, जब कोई नई सामग्री अथवा साक्ष्य, जो प्रस्तुत नहीं किया जा सका था अथवा उस समय समीक्षाधीन आदेश पारित करते वक्त उपलब्ध नहीं था और जिससे मामले का स्वरूप बदल सकता है, उसके ध्यान में आता है या लाया जाता है, और इसके बाद वह समुचित आदेश पारित करेगाः

परंतु यह कि –

(i) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित वर्धित शास्ति यदि विनियम 26 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) अथवा (ञ) में निर्दिष्ट दीर्घ शास्तियों में से एक है और विनियम 28 में निर्दिष्ट अनुसार, मामले में कोई जांच नहीं की गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी विनियम 28 के अनुसार, इस प्रकार की जांच के निर्देश देगा और इसके बाद जांच के रिकॉर्ड पर विचार करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि अपीलीय प्राधिकारी शास्ति बढ़ाने का निर्णय लेता है, लेकिन विनियम 28 के प्रावधानों के अनुसार पहले ही जांच की जा चुकी है तो अपीलीय प्राधिकारी, अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देगा कि उस पर वर्धित शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उसके पक्ष, यदि कोई है, तो, पर विचार करने के बाद आदेश पारित करेगा।

(4) सभी अपीलों का निपटान यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील प्राप्त होने के नब्बे दिनों से अधिक समय नहीं लिया जाएगाः

ध्यातव्य है कि इस विनियम में निर्धारित समयसीमा उन मामलों पर लागू नहीं होगी, जिनमें सतर्कता संबंधी दृष्टिकोण है और अधिकारी के विरुद्ध मामले की जांचकर्ता पुलिस अथवा सीबीआई अथवा केंद्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, की संस्तुति पर लघु या दीर्घ शास्ति कार्यवाहियां शुरू कर दी गई हैं।

41. समीक्षा – इन विनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, समीक्षा प्राधिकारी अंतिम आदेश की तारीख से छह महीनों के भीतर, अपने प्रस्ताव पर या अन्यथा, उक्त आदेश की समीक्षा कर सकता है, जब कोई नई सामग्री अथवा साक्ष्य, जो प्रस्तुत नहीं किया जा सका था अथवा उस समय समीक्षाधीन आदेश पारित करते वक्त उपलब्ध नहीं था और जिससे मामले का स्वरूप बदल सकता है, उसके ध्यान में आता है या लाया जाता है, और इसके बाद वह समुचित आदेश पारित करेगाः

परंतु यह कि –

(i) समीक्षा–प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित वर्धित शास्ति यदि विनियम 26 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) अथवा (ञ) में निर्दिष्ट दीर्घ शास्तियों में से एक है और विनियम 28 में निर्दिष्ट अनुसार, मामले में कोई जांच नहीं की गई है, तो समीक्षाकर्ता प्राधिकारी विनियम 28 के अनुसार, इस प्रकार की जांच के निर्देश देगा और इसके बाद जांच के रिकॉर्ड पर विचार करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि समीक्षाकर्ता प्राधिकारी शास्ति बढ़ाने का निर्णय लेता है, लेकिन विनियम 28 के प्रावधानों के अनुसार पहले ही जांच की जा चुकी है तो समीक्षाकर्ता प्राधिकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देगा कि उस पर वर्धित शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उसके पक्ष, यदि कोई है तो, पर विचार करने के बाद आदेश पारित करेगा।

42. केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श – सतर्कता के दृष्टिकोण वाले सभी अनुशासनिक मामलों के संबंध में, जहां कहीं भी आवश्यक होगा, बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करेगा।

IndiaCode

(3) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Appellate Authority may at any time within six months from the date of the final order, either on his own motion or otherwise, review the said order when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice, and pass such orders thereon as it may deem fit:

Provided that —

(i) if any enhanced penalty, which the Appellate Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of regulation 26 and an enquiry as provided in regulation 28 has not been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 28, and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) if the Appellate Authority decides to enhance the penalty but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 28, the Appellate Authority shall give show cause notice to the officer as to why enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer.

(4) All appeals shall be disposed of as expeditiously as possible and in any event not later than ninety days from the date of receipt of the appeal by the Appellate Authority:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major or minor penalty proceedings against the officer have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigations or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

41. Review.— Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may at any time within six months from the date of the final order, either on his own motion or otherwise, review the said order when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice, and pass such orders thereon as it may deem fit:

Provided that—

(i) if any enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of regulation 26 and an enquiry as provided in regulation 28 has not been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 28, and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) if the Reviewing Authority decides to enhance the penalty but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 28, the Reviewing Authority shall give show cause notice to the officer as to why enhanced penalty shall not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer.

42. Consultation with Central Vigilance Commission.— The Bank shall consult the Central Vigilance Commission, wherever necessary, in respect of all disciplinary cases having a vigilance angle.

IndiaCode

43. आदेशों, नोटिसों आदि का पहुंचाया जाना – इन विनियमों के अंतर्गत जारी प्रत्येक आदेश, नोटिस और अन्य प्रक्रिया से संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाएगा अथवा उसे उसके आखिरी ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए संप्रेषित किया जाएगा।

44. व्याख्या – यदि इनमें से किसी भी विनियम के लागू होने अथवा उसकी व्याख्या के संबंध में कोई सवाल उठता है तो यह निदेशक मंडल अथवा इसके निर्णय के लिए इस संबंध में नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

45. निरसन (समापन) और व्यावृत्तियां

(1) प्रत्येक नियम, विनियम, उप–नियम अथवा इन विनियमों से संबंधित किसी भी करार अथवा संकल्प में प्रत्येक प्रावधान और इन विनियमों के तुरंत प्रभाव से लागू होने से पहले अधिकारियों पर लागू विनियम, एतद्द्वारा समाप्त किए जाते हैं।

(2) इस प्रकार के निरसन के बावजूद –

(क) इस प्रकार समाप्त किए गए प्रावधानों के अतंर्गत दिए गए आदेश अथवा की गई कार्रवाई को इन विनियमों के अंतर्गत संबंधित प्रावधानों के अधीन दिए गए आदेश अथवा की गई कार्रवाई माना जाएगा;

(ख) इन विनियमों में से कुछ भी किसी व्यक्ति, जिस पर ये विनियम लागू होते हैं, को हटाने के लिए नहीं माना जाएगा, इस प्रकार समाप्त किए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपील के अधिकार में से कोई अधिकार समाप्त नहीं माना जाएगा;

(ग) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध लंबित अपील पर विचार किया जाएगा और उस पर इन विनियमों के अनुसार, आदेश पारित किए जाएंगे;

(घ) कोई भी कार्यवाहियां, जो शुरू की गई हैं, किन्तु इन विनियमों के लागू होने तक पूरी नहीं हुई हैं, जारी रहेंगी और यथासंभव इन विनियमों के अनुसार उनका निपटान किया जाएगा, यदि ऐसी कार्यवाहियां इन विनियमों के अंतर्गत कार्यवाहियां थीं।

IndiaCode

43. Service of orders, notices etc.— Every order, notice and other process made or issued under these regulations shall be served in person on the officer concerned or communicated to him by registered post or speed post or electronic mail at his last known address.

44. Interpretation.— If any question arises as to the application or interpretation of any of these regulations, it shall be referred to the Board or to the Competent Authority appointed in this behalf for its decision.

45. Repeal and saving.

(1) Every rule, regulation, bye-law or every provision in any agreement or a resolution corresponding to any of the regulations herein contained and in force immediately before the commencement of these regulations and applicable to the officers, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal—

(a) any order made or action taken under the provisions so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations;

(b) nothing in these regulations shall be construed as depriving any person to whom these regulations apply, of any right of appeal which had accrued to him under any of the provisions so repealed;

(c) an appeal pending at the commencement of these regulations against an order made before the commencement of these regulations shall be considered and orders thereon shall be made in accordance with these regulations;

(d) any proceedings which have already been initiated but not yet completed at the commencement of these regulations shall be continued and disposed as far as may be in accordance with the provisions of these regulations, as if such proceedings were proceedings under these regulations.

IndiaCode

अनुसूची

[देखें विनियम 2]

क्रमांक	प्रवर्ग (कैटेगरी)	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	समीक्षाकर्ता प्राधिकारी
1.	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड / वेतनमान I और मध्य प्रबंधन ग्रेड / वेतनमान II के अधिकारी	उप महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक से ऊपर के प्राधिकारी	महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक से ऊपर के प्राधिकारी	प्रबंध निदेशक
2.	मध्य प्रबंधन ग्रेड / वेतनमान III के अधिकारी	महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक से ऊपर के प्राधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक अथवा मुख्य महाप्रबंधक से ऊपर के प्राधिकारी	प्रबंध निदेशक
3.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड / वेतनमान IV के अधिकारी	मुख्य महाप्रबंधक अथवा मुख्य महाप्रबंधक से ऊपर के प्राधिकारी	उप प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक से ऊपर के प्राधिकारी	प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में/ यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों, तो निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति
4.	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड / वेतनमान V अथवा इससे ऊपर के अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक से ऊपर के प्राधिकारी	प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में/ यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हों, तो निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति	निदेशक मंडल

IndiaCode

SCHEDULE

[See regulation 2]

Sr. No.	Category	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
1.	Officers in Junior Management Grade/Scale I and Middle Management Grade/Scale II	Deputy General Manager and authorities above the Deputy General Manager	General Manager or authorities above General Manager	Managing Director
2.	Officers in Middle Management Grade/Scale III	General Manager or authorities above General Manager	Chief General Manager or authorities above Chief General Manager	Managing Director
3.	Officers in Senior Management Grade/Scale IV	Chief General Manager or authorities above Chief General Manager	Deputy Managing Director or authorities above the Deputy Managing Director	Managing Director or in his absence / in case he is functioning as Disciplinary Authority, Management Committee of the Board
4.	Officers in Senior Management Grade/Scale V and above	Deputy Managing Director or authorities above the Deputy Managing Director	Managing Director or in his absence / in case he is functioning as Disciplinary Authority, Management Committee of the Board	The Board

IndiaCode

भारतीय निर्यात–आयात बैंक के कार्यालय

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.
फोन: (91 22) 22172600 । फैक्स: (91 22) 22182572
ई–मेल: ccg@eximbankindia.in । वेबसाइट: www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार ।।, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद – 380 006.
फोन: +91 79 26576852/26576843 । फैक्स: +91 79 26577696
ई–मेल: eximahro@eximbankindia.in

बेंगलूरु
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड, बेंगलूरु – 560 001.
फोन: +91 80 25585755/25589101-04
फैक्स: +91 80 25589107
ई–मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़
सी–213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र फेज–1, चंडीगढ़ - 160 002.
फोन: +91 172 4629171-73 । फैक्स: +91 172 4629175
ई–मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै
ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवी मंज़िल, 756–एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002.
फोन: +91 44 28522830/31 । फैक्स: +91 44 28522832
ई–मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी - 781 006.
फोन: +91 361 2237607/609 । फैक्स: +91 361 2237701
ई–मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
राज भवन रोड, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004.
फोन: +91 40 23307816-21 । फैक्स: +91 40 23317843
ई–मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016.
फोन: +91 33 22833419/20 । फैक्स: +91 33 22891727
ई–मेल: eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
ऑफिस ब्लॉक. टॉवर 1, सातवीं मंज़िल, रिंग रोड के पास,
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली – 110 023.
फोन: +91 11 61242600 / 24607700 । फैक्स: +91 11 20815029
ई–मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे
नं. 402 और 402 (बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग, भाम्बुर्डा,
भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004.
फोन: +91 20 25648856 । फैक्स: +91 20 25648846
ई–मेल: eximpro@eximbankindia.in

लंदन शाखा

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन ईसी 2वी 8 बीबी, यूनाइटेड किंगडम.
फोन: +44 20 77969040 । फैक्स: +44 20 76000936
ई–मेल: eximlondon@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान
5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-दॉक्तर क्रोज़े रोड,
प्लेत्यो–आबिदजान, कोत दि'वार.
फोन: +225 20 24 29 51 । मोबाइल: +225 79707149
फैक्स: +225 20 24 29 50
ई–मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा
हाउस नं. 46, जैक्रोस एस्टेट कंपाउंड, वोरेडा 07,
बोले सब–सिटी, अदिस अबाबा, इथियोपिया.
फोन: +251 116 222296 । फैक्स: +251 116 610170
ई–मेल: aaro@eximbankindia.in

ढाका
मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल, प्लॉट सं. 11, रोड नं. 11,
ब्लॉक जी, बानानी ढाका - 1213, बांग्लादेश.
फोन: +88 01 708 520 444
ई–मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं. 3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र, पीओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यूएई.
फोन: +971 4 3637462 । फैक्स: +971 4 3637461
ई–मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग
दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3,
सैंटन 2196, जोहांस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका.
फोन: +27 11 3265103/13 । फैक्स: +27 11 7844511
ई–मेल: eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर क्वे, #10-02, सिंगापुर - 049319.
फोन: +65 65326464 । फैक्स: +65 65352131
ई–मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.
1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू, सूइट 1202,
वाशिंगटन डी. सी. 20006, संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन: +1202 223 3238 । फैक्स: +1202 785 8487
ई–मेल: eximwashington@eximbankindia.in

याँगॉन
हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोयारन्युत मार्ग, डैगन टाउनशिप,
याँगॉन, म्यांमार.
फोन: +95 1389520 । मोबाइल: +95 1389520
ई–मेल: eximyangon@eximbankindia.in

IndiaCode

OUR GLOBAL FOOTPRINT

Head Office

Centre One Building, 21st Floor, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Ph.: +91 22 22172600 | Fax: +91 22 22182572
E-mail: ccg@eximbankindia.in | Website: www.eximbankindia.in | www.eximmitra.in

Domestic Offices

AHMEDABAD
Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping Centre,
Ellisbridge P. O., Ahmedabad - 380 006.
Ph.: +91 79 26576852/26576843 | Fax: +91 79 26577696
E-mail: eximahro@eximbankindia.in

BENGALURU
Ramanashree Arcade, 4th Floor, 18, M. G. Road,
Bengaluru - 560 001.
Ph.: +91 80 25585755/25589101-04 | Fax: +91 80 25589107
E-mail: eximbro@eximbankindia.in

CHANDIGARH
C- 213, 2nd Floor, Elante Offices,
Industrial Area Phase -1, Chandigarh - 160 002.
Ph.: +91 172 4629171-73 | Fax: +91 172 4629175
E-mail: eximcro@eximbankindia.in

CHENNAI
Overseas Towers, 4th and 5th Floor, 756-L,
Anna Salai, Chennai - 600 002.
Ph.: +91 44 28522830/31 | Fax: +91 44 28522832
E-mail: eximchro@eximbankindia.in

GUWAHATI
NEDFi House, 4th Floor, GS Road, Dispur, Guwahati - 781 006.
Ph.: +91 361 2237607/609 | Fax: +91 361 2237701
E-mail: eximgro@eximbankindia.in

HYDERABAD
Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad - 500 004.
Ph.: +91 40 23307816-21 | Fax: +91 40 23317843
E-mail: eximhro@eximbankindia.in

KOLKATA
Vanijya Bhawan, 4th Floor, (International Trade Facilitation Centre),
1/1 Wood Street, Kolkata - 700 016.
Ph.: +91 33 22833419/20 | Fax: +91 33 22891727
E-mail: eximkro@eximbankindia.in

NEW DELHI
Office Block, Tower 1, 7th Floor, Adjacent Ring Road,
Kidwai Nagar (East), New Delhi - 110 023.
Ph.: +91 11 61242600/24607700 | Fax: +91 11 20815029
E-mail: eximndo@eximbankindia.in

PUNE
No. 402 & 402 (B) 4th Floor Signature Building, Bhamburda,
Bhandarkar Rd., Shivajinagar, Pune - 411 004.
Ph.: +91 20 25648856 | Fax: +91 20 25648846
E-mail: eximpro@eximbankindia.in

London Branch

5th Floor, 35 King Street,
London EC2V 8BB, United Kingdom.
Ph.: +44 20 77969040 | Fax: +44 20 76000936
E-mail: eximlondon@eximbankindia.in

Overseas Offices

ABIDJAN
5th Floor, Azur Building, 18-Docteur Crozet Road,
Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire.
Ph.: +225 20 24 29 51 | Fax: +225 20 24 29 50
E-mail: eximabidjan@eximbankindia.in

ADDIS ABABA
House No. 46, Jakrose Estate Compound,
Woreda 07, Bole Sub-City,
Addis Ababa, Ethiopia.
Ph.: +251 118 222296 | Fax: +251 116 610170
E-mail: aaro@eximbankindia.in

DHAKA
Modhumita Plaza Concord, Floor 12, Plot No. 11,
Road No. 11, Block G, Banani, Dhaka - 1213, Bangladesh.
Ph.: +88 01 708 520 444
E-mail: eximdhaka@eximbankindia.in

DUBAI
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3, Dubai
International Financial Centre, PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Ph.: +971 4 3637462 | Fax: +971 4 3637461
E-mail: eximdubai@eximbankindia.in

JOHANNESBURG
2nd Floor, Sandton City Twin Towers East, Sandhurst Ext. 3,
Sandton 2196, Johannesburg, South Africa.
Ph.: +27 11 3265103/13 | Fax: +27 11 7844511
E-mail: eximjro@eximbankindia.in

SINGAPORE
20, Collyer Quay, #10-02, Singapore - 049319.
Ph.: +65 65326464 | Fax: +65 65352131
E-mail: eximsingapore@eximbankindia.in

WASHINGTON D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202,
Washington D.C. 20006, United States of America.
Ph.: +1 202 223 3238 | Fax: +1 202 785 8487
E-mail: eximwashington@eximbankindia.in

YANGON
House No. 54/A, Ground Floor, Boyarnyunt Street,
Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Ph.: +95 1389520
E-mail: eximyangon@eximbankindia.in

Indiacode

IndiaCode

इंडिया एक्ज़िम बैंक
India Exim Bank

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई – 400 005.

Centre One Building, 21st Floor, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

+91-22-22172600 +91-22-22182572 ccg@eximbankindia.in www.eximbankindia.in / www.eximmitra.in

हमें फॉलो करें Follow us on: